स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन्टर्नशिप)

प्रस्तावना :–

किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाले प्रशिक्षु के लिए इन्टर्नशिप एक महत्त्वपूर्ण कार्यकाल होता है। व्यवस्थित व व्यावहारिक इन्टर्नशिप की अवधि के बिना डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि अपने व्यवसाय में अपेक्षित स्तर की दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में भी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) की एक महत्त्वपूर्ण अवधि होती है। इसी अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक एक मननशील व परिपक्व पेशेवर (त्तवमिपवदंस) के रूप में निखरता है। अत: एक भावी शिक्षक को तैयार करने में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण (एन.सी.एफ) 2005 में शिक्षक की एक मननशील पेशेवर के रूप में संकल्पना की गई है। बदलती अवधारणाओं व परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण (एन.सी.एफ.टी. ई.) 2009 में शिक्षकों के दायित्व व भूमिका को प्रासंगिक बदलावों के संदर्भ में रखते हुए देखा गया है। नवीन संदर्भ में 'अभ्यास–शिक्षण' के स्थान पर विद्यालय–अनुभव शब्द–युग्म का प्रयोग किया गया है। इससे आशय यह है कि विद्यालय में शिक्षण–अभ्यास ही एकमात्र प्रयोजन नहीं है, बल्कि विद्यालय के प्रशासन तंत्र, वहाँ की गतिविधियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भी व्यापक रूप से समझना है। विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व शैक्षिक निर्धारकों का अध्ययन करना आवश्यक है। नवीन पाठ्यचर्या में संकल्पित विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी– शिक्षक को विद्यालय में वे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे शिक्षण के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्षों को स्वाभाविक प्रक्रिया के अन्तर्गत सीख सकें।

सैद्धान्तिक पक्षों को सीखने के साथ–साथ यदि विद्यार्थी–शिक्षक को कक्षा–शिक्षण, प्रार्थना–सभा, विद्यालय गतिविधियों, सामाजिक रीति–रिवाजों व बाल–मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं तो शिक्षक के रूप में उनका व्यक्तित्व त्वरित गति से निखरता है। इन प्रक्रियाओं में

सम्मिलित होकर विद्यार्थी–शिक्षकों में न केवल आत्मविश्वास का संचार होता है, बल्कि अधिगम के सैद्धान्तिक पक्षों की तार्किक व मनोवैज्ञानिक विवेचना करने की क्षमता भी प्राप्त होती है।

विद्यालय अनुभव के इस कार्यक्रम में विद्यार्थी शिक्षक को स्वयं अन्वेषण करने के अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं। कभी वह अवलोकनकर्त्ता के रूप में अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है तो कभी एक सहभागी के रूप में विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ जाता है। शिक्षक का दायित्व केवल विषयवस्तु का सम्प्रेषण करना ही नही बल्कि विद्यार्थी की संकल्पनाओं व ज्ञान का स्वाभाविक निर्माण करना है। इसक साथ–साथ शिक्षक को कक्षा प्रबन्धन, मूल्यांकन के नवीन सम्प्रत्ययों, गतिविधियों के आयोजन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षण में उपयोग करने जैसे विषयों पर भी दक्ष होना आवश्यक है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी शिक्षक को अभिभावकों व सामुदायिक ईकाइयों से सम्पर्क के अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे शिक्षा व उभरते सामाजिक पटल के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण कर सकें। विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम व संकल्पनाओं को समझने के अवसर प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उनमें अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए सर्वे, केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया है।

विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम को प्रभावी व परिणामवर्धक बनाने हेतु विद्यालयो के प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.एल.एड) एवं बी.एड कार्यक्रम शिक्षार्थियो और विद्यालय को निरन्तर व्यस्त बनाए रखेगा और इसके 2 वर्षों के दौरान शुरू से अन्त तक पड़ोस के विद्यालयों के साथ सहक्रियाशीलता का सृजन करेगा। डी.एल.एड पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 20 सप्ताह विद्यालयो मे प्रशिक्षता के होगें, जिनमे से प्रथम वर्ष के दौरान 4 सप्ताह कक्षाओं के कमरों मे प्रेक्षण के लिए निर्धारित होगें, इन्टर्नशिप के द्वितीय वर्ष के दौरान कम से कम 16 सप्ताह की अवधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होगी। इसके अतिरिक्त एक सप्ताह की अवधि मे छात्राध्यापक सामान्य कक्षा के नियमित अध्यापकों के अध्यापन का अवलोकन करेगा।

प्रथम व द्वितीय वर्ष में क्रमशः 24, 96 दिन के विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम की अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक न केवल अपने कक्षा–शिक्षण व्यवहार में प्राथमिक अनुभव पाकर पारंगत होंगे, बल्कि अपनी सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक को वे सभी अवसर प्रदान किये गये है जिससे उसके व्यक्तित्व के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक व संवैधानिक आयामों को विकसित किया जा सकें।**दोनो वर्षों में विद्यालय– अनुभव कार्यक्रम की अवधि 24 एवं 96 दिनों की है।**

(1) प्रथम वर्ष में 24 दिवस चयनित विद्यालय के अवलोकन हेतु निर्धारित हैं तथा इस हेतु विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान में तैयारी के लिए 03 दिवस दिए गए हैं। इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय को समझें तथा इसके विभिन्न घटकों से परीचित हो, कक्षा–कक्ष प्रक्रिया को समझें, विषयवस्तु के बारे में अपनी समझ बना पाएँ, कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय में अध्यापक की भूमिका को समझें। इस दौरान विद्यार्थी–शिक्षक प्रतिदिन 4 कालांश कक्षा शिक्षण का अवलोकन करेंगे। अवलोकन प्रत्येक विषय, अध्यापक द्वारा करवाये जा रहे शिक्षण कार्य एवं कक्षा का किया जाएगा। शेष 4 कालांशों में विद्यालय अभिलेखों, अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों, बैठकों आदि का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

<u>24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी–शिक्षक जिस जिले मे इंटर्नशिप कर रहा है वहाँ की राजकीय डाईट मे जाकर मार्गदर्शन एवं समाधान प्राप्त कर सकता है ।</u>

द्वितीय वर्ष में 96 दिवस शिक्षण अनुभव के लिए निर्धारित है तथा इस हेतु विद्यार्थी–शिक्षक डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान में 04 दिवस पूर्व तैयारी हेतु दिये गये है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक चयनित विद्यालयों में यथा सम्भव उपलब्धता अनुसार 2–2 के समूह में शिक्षण कार्य करेंगे। जब पहला विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा हो, तो दूसरा (उसका साथी विद्यार्थी शिक्षक) उसका अवलोकन करेगा व अगले कालांश में दूसरा विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा एवं पहला साथी उसका अवलोकन करेगा। दोनों विद्यार्थी–शिक्षक एक–दूसरे के साथ कार्य करते हुए शिक्षण अनुभव प्राप्त करेंगे। साथ ही एक–दूसरे की समालोचना

करते हुए अपने शिक्षण कौशलों को विकसित करेंगे, एवं विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता करेंगे। विद्यार्थी–शिक्षक के शिक्षण का अवलोकन विद्यालय के संस्थाप्रधान/अनुभवी शिक्षक तथा डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षक संस्थान के शिक्षक–प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा।

डाइट/डी.एल.एड. संस्थान में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के दौरान विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी–शिक्षकों के साथ होने वाली सभी बैठकों का पंजिका में संधारण होना तथा किये गये कार्य का विवरण रखा जाये।

उद्देश्य

- विद्यार्थी–शिक्षक को भावी शिक्षक के रूप में तैयार करना।
- सैद्धान्तिक पक्षों के आधार पर विद्यालय को एक इकाई के रूप में समझना व विद्यालयी संस्कृति की समालोचना करना।
- राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, समुदाय और विद्यालय के संगठनात्मक ढाँचों में संबंध देखना।
- कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रूप मे समझना।
- कक्षा–शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, विद्यालय–प्रबंधन व विद्यालय के अन्य पक्षों को समझना व उनकी समालोचना करना।
- विद्यालय के शिक्षा तंत्र को समझना व विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार नवाचार की संभावना खोजना।
- विद्यार्थियों से जुड़ना, उनको उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझना व उनसे प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाना।
- विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन व संचालन के संदर्भ में समुदाय की भूमिका को समझना व उसकी भागीदारी की संभावनाएँ खोजना।
- विभिन्न विषयों के शिक्षण की योजना बनाना व कक्षा में उसका क्रियान्वयन करना।

- शिक्षण–प्रक्रिया व बच्चों के आकलन के विभिन्न तरीकों को समझकर स्वयं आकलन के नए तरीके खोजना।
- शिक्षण अधिगम परिस्थिति में तकनीकी को पहचानना, विकसित करना एवं आवश्यकतानुरूप प्रयोग करना।
- विद्यालय संबंधी समस्त कार्य कर पाने की समझ व कौशल विकसित करना, ताकि वह समस्या व चुनौती को पहचानकर उन्हें हल कर पाने के प्रयास कर सकें।
- विद्यालय में अपने अनुभवों व शिक्षण–प्रक्रिया पर मनन करना तथा एक शिक्षक के लिए स्वयं मनन करने की महत्ता को समझना।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के संदर्भ में बहुस्तरीय शिक्षण का अभ्यास करना।

करणीय कार्य

उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

1. विद्यालय की सम्पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन

इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालय की सामाजिक–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समुदाय का विद्यालय के साथ संबंध एवं अन्य जानकारी एकत्रित कर उसकी समालोचनात्मक विवेचना करना।

2. विद्यालय अभिलेखों का अवलोकन तथा संधारण

विद्यालय के विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करना एवं उनकी प्रविष्टियों को दर्ज करने के तरीके सीखना।

3. शिक्षण कार्य का अवलोकन

नियमित शिक्षण कार्य के अवलोकन के आधार पर कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रूप में समझना। शिक्षक–विद्यार्थियों व विद्यार्थियों के परस्पर संप्रेषण व सम्बन्धों को समझ कर उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना। सहपाठियों द्वारा पढ़ाते समय शिक्षण कार्य का अवलोकन कर विश्लेषण करना।

4. उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों (एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई.आर.टी) तथा अन्य स्रोत सामग्री का समालोचनात्मक विश्लेषण करना

इसमें पाठ्यपुस्तकों एवं उपलब्ध बाल साहित्य, भाषायी खेल, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों आदि का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जायेगा।

5. स्रोत सामग्री का सूचीकरण एवं विकास करना

विद्यालय तथा समुदाय की स्रोत सामग्री को पहचान कर उसे सूचीबद्ध करना एवं उसके कक्षा-कक्ष में प्रयोग की संभावनाएँ खोजना। सामुदायिक स्रोत सामग्री में जल स्रोत, वनस्पति, स्थानीय ऐतिहासिक स्थान, लोक संस्कृति, इतिहास, खेल, व्यवसाय, लोकगीत आदि हो सकते हैं। आवश्यकतानुसार स्रोत सामग्री का प्रयोग एवं उसको पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाना भी इसमें सम्मिलित है।

6. अधिगम केन्द्रों का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक किसी अधिगम केन्द्र (जहाँ कुछ सीखा जा सकता हो) जैसे सुसंचालित विद्यालय, संग्रहालय, उद्यान, वेधशाला, तारामण्डल, लोककला केन्द्र, विज्ञान केन्द्र, आदि का भ्रमण कर अपने प्रेक्षणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट का उपयोग स्रोत सामग्री के विकास में भी होगा।

7. बच्चों को समझना

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत एवं अन्य गतिविधियाँ कर उन्हें जानने व समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने का भी प्रयास करेंगे।

8. शिक्षण अधिगम योजना तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक विषयवार समग्र शिक्षण योजना बनाने के बाद दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे। समग्र शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रति विषय पढ़ाए जाने वाले सभी पाठों की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी है। इसका प्रारूप–1 (पृष्ठ संख्या–49) पर दिया गया है। समग्र शिक्षण योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे जिसका प्रारूप–2 (पृष्ठ संख्या–50) पर दिया गया है। योजना तैयार करते समय बहुस्तरीय शिक्षण को आवश्यकतानुसार स्थान दें, ताकि सभी विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित हो सके। शिक्षण योजना निर्माण में विषयवस्तु का विश्लेषण, ज्ञान सृजन के लिए शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर क्रियाकलापों/गतिविधियों का चयन करें।

9. संकल्पना मानचित्रण

संकल्पना मानचित्रण एक ऐसी विधा है जिसमें किसी विषयवस्तु की मुख्य बिंदुओं के आपसी संबंधों को स्पष्टता के साथ दशाया जाता है। इसमें मुख्य संकल्पना में निहित विचारों सिद्धांतों व अवधारणाओं का तार्किक चित्रण होता है।

संकल्पना मानचित्रण में शिक्षक विषयवस्तु की मुख्य संकल्पना से संबंधित ज्ञान, जानकारियों एवं समझ को व्यवस्थित रूप से दर्शाता है इसमें सभी विद्यार्थियों की समझ व पूर्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए उपकाइयों का निर्धारण किया जाता है। जिससे इसके आधार पर बनाई गयी शिक्षण योजना में सभी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध हो सके।

10. विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया

योजना बनाने के बाद विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर 96 दिवसीय शिक्षण कार्य करेंगे।

11. समुदाय के साथ संवाद

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के माता–पिता, अभिभावकों एवं समुदाय के साथ मिलकर विद्यालय व बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे।

12. विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय की प्रार्थना सभा, खेलकूद, स्काउटिंग, विज्ञान–क्लब, स्टाफ–क्लब, ईको–क्लब, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, विज्ञान मेला, पुस्तकालय की देखभाल, उत्सव, पर्व एवं जयन्तियों, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि गतिविधियों में भाग लेंगे।

13. बच्चों का मूल्यांकन

विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे व उसका रिकॉर्ड संधारित करना सीखेंगे।

14. समावेशी शिक्षा के लिए कार्यनीति अपनाना

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यार्थियों की विविधता तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को पहचान कर तदनुसार कार्यनीति अपनाएँगे।

15. केस स्टडी

किसी एक बच्चे का चयन कर उसके बारे में स्वयं, उसके साथियों, शिक्षकों, माता–पिता, पड़ोसियों, मित्रों आदि से बातचीत के आधार पर अध्ययन करेंगे।

16. मननशील रिपोर्ट (Reflective Journal)

विद्यार्थी–शिक्षक अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के आधार पर अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार का अनुभव लेखन उन्हें अपनी अवधारणाओं व अनुभवों पर मनन करने का अवसर देता है। वे अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं व वर्तमान में उभरी धारणाओं के द्वन्द से उभरकर किसी समस्या का सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अनुभव में विद्यालय के शैक्षणिक व सहशैक्षणिक पहलुओं, संसाधनों, परिवेशगत प्रभावों, सामुदायिक पक्ष आदि को आधार बनाया जा सकता है तथा अन्य कई पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है जो एक विद्यालय विशेष मे एक विशिष्ट पहलू है। इस प्रकार के लेखन में निष्पक्षता, मौलिकता व तार्किकता का निर्वहन होना चाहिए। विद्यार्थी–शिक्षक इन्हें विवरणात्मक रूप में लिखने के स्थान पर परिस्थितियों का विश्लेषण स्वयं के मनन के आधार पर करेंगे।

17. क्रियात्मक–अनुसंधान

क्रियात्मक–अनुसंधान में किसी शैक्षणिक समस्या के विभिन्न पक्षों को किसी परिकल्पना के माध्यम से जाँचा जाता है। विद्यालय या कक्षा–कक्ष से जुड़ी किसी एक समस्या का चयन कर विद्यार्थी–शिक्षक उससे सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करेंगे। सामूहिक चर्चा करके शोध उद्देश्य व परिकल्पना का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात् उपयुक्त शोध विधि व उपकरणों का निर्धारण करके आँकड़ों या दत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालेंगे तथा उसके शैक्षिक निहितार्थ प्रस्तुत करेंगे।

18. सर्वे

सर्वे करना अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षा से जुड़े किसी घटक या शैक्षिक समस्या का सर्वे कर उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं तथा अपने उपयोगी व महत्त्वपूर्ण सुझावों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के सर्वे में उपयुक्त

उपकरण का चुनाव, निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता से सर्वे को अधिकाधिक वैध व सार्थक बनाया जा सकता हैं। यह सर्वे विद्यालय के आस–पड़ोस के परिवारों, संचालित संस्थाओं (यथा चौपाल, अस्पताल, कॉलेज, विद्यालय, पंचायत, प्रशासनिक शिक्षा संस्थान) के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों व आयामों का समझने में मदद करेगा तथा सर्वेकर्ता उन तथ्यों का शैक्षिक निहितार्थ भी जान सकेगा।

19. प्रोफाइल

विद्यालय अनुभव के संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यार्थी से संबंधित प्रत्येक जानकारी का अभिलेख एक फाइल में संधारित किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है –

- विद्यार्थियों की संख्या (लडके व लड़कियों की संख्या अलग–अलग)
- विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गए सभी कार्यों का अभिलेख
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को देखते हुए समूहों की संख्या एवं उनमें विद्यार्थियों की संख्या।
- अपने शिक्षण विषय में विद्यार्थियों की आधारभूत अवधारणाओं की समझ।
- उन विद्यार्थियों की पहचान जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

20. प्रोजेक्ट

शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी–शिक्षक का किसी एक विषयवस्तु के संदर्भ में एक व्यापक व ज्ञान परक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्राथमिक व द्वितीयक दत्त (Data),तथ्य तथा विषयवस्तु एकत्रीकरण की प्रक्रिया जितनी व्यापक, व्यवस्थित व प्रासंगिक होगी, प्रोजेक्ट उतना ही रोचक, ज्ञानवर्धक व अनुभवजन्य रहेगा। प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम की महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुओं, सहशैक्षणिक गतिविधियों या शैक्षणिक समस्याओं से सम्बद्ध हो सकता है। प्रोजेक्ट को तथ्यपरक, अनुसंधानात्मक व रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

21. पाठ्यपुस्तक विश्लेषण

विषयवस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी भी विषयवस्तु का संपूर्ण अध्ययन कर उसके सभी घटकों,तथ्यों व विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी शिक्षक छात्र/छात्राओं का स्तर, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी ज्ञानार्जन की गति,स्वयं की शिक्षण क्षमताओं व उपलब्ध शिक्षण संसाधनों को भी दृष्टिगत रखें।

विषयवस्तु विश्लेषण के पश्चात एक शिक्षक के लिए यह सरल हो जाता है कि उसे किन मुख्य बिन्दुओं को अपने पाठ प्रस्तुतीकरण के आधार में रखना है। विषयवस्तु विश्लेषण से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि विश्लेषित विषयवस्तु को किस प्रकार,किस क्रम से तथा किस व्यवस्था से पढ़ाना है।

किसी विषयवस्तु विश्लेषण के सबसे छोटे घटक में शब्द भी हो सकते हैं, विषयवस्तु की थीम, वर्णित पात्र, अवधारणा, गद्यांश, भाषागत संरचना, रोचकता आदि सभी बिन्दु हो सकते हैं। विषयवस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य विषयवस्तु को सरल एवं ग्राह्य बनाना है तथा विषयवस्तु से जुड़े तथ्यों में संपूर्णता एवं क्रमबद्धता लाना है।

द्वितीय वर्ष में कक्षा 3 से 5 में से एक एवं 6 से 8 के किसी भी विषय की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा :–

- पाठ्यक्रम के अनुसार
- विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार
- भाषा की सरलता एवं स्पष्टता
- विषयवस्तु में रोचकता
- विषयवस्तु में प्रासंगिकता
- विविधता का समावेश
- स्थानीय परिवेश एवं अनुभवों को स्थान
- चित्र का समावेश एवं स्पष्टता
- गतिविधियों का समावेश
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
- पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों की उपयुक्तता

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

प्रथम वर्ष

क्र. सं.	कार्यक्रम	संभावित माह / कार्यदिवस
1.	इंटर्नशिप हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जिले का चयन	जुलाई
2.	जिला शिक्षा अधिकरी द्वारा आवंटितसमस्त विद्यालयों के संस्था–प्रधानों एवं एक एक शिक्षकों के साथ चर्चा (दो दिवसीय उन्मुखीकरण)	जुलाई
3.	24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / डी.एल.एड. संस्थान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तैयारी	जुलाई से आव" यकता अनुसार (3 दिन)
4.	आवंटित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा विद्यालय एवं कक्षा–कक्ष अवलोकन।	जुलाई से आव" यकता अनुसार (24 दिन)
5.	अवलोकन के 24 दिन पश्चात् डाइट / डी.एल.एड. में समीक्षा बैठक, रिकॉर्ड संधारण, रिकॉर्ड संकलन एवं विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा किये गये कार्यों का शिक्षक–प्रशिक्षण द्वारा मूल्यांकन	(02 दिन)

विद्यालय–अवलोकन कार्यक्रम के चरण

प्रथम चरण : इंटर्नशिप हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जिले का चयन

- **इंटर्नशिप हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जिले का चयन किया जाएगा**
- **डाइट / शिक्षक–प्रशिक्षक संस्थान द्वारा विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम हेतु यदि विद्यार्थी शिक्षक अपने अध्ययनरत डाइट / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के जिले से ही इंटर्नशिप कर रहा हो तो** उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहाँ कक्षा 1 से 8 तक संचालित होती हों तथा संस्थान से 15 कि.मी. की परिधि में हो। विद्यालय अवलोकन हेतु ऐसे विद्यालयों का

चयन किया जाए, जिनमें कक्षा शिक्षण की अनुकरणीय स्थितियाँ उपलब्ध हो। विद्यालयों का चयन डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के मार्गदर्शन में प्रभारी अपने सभी संकाय सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे।

- चयनित समस्त विद्यालयों का डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आकलन कर सूची तैयार की जाएगी, जिसमें वहाँ उपलब्ध भौतिक संसाधन, विद्यार्थियों का नामांकन, शिक्षकों की संख्या, इत्यादि का उल्लेख होगा।
- शैक्षणिक सत्र के दौरान एक विद्यालय में एक डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी–शिक्षक ही विद्यालय अवलोकन का कार्य करेंगे। एक विद्यालय में एक ही अवधि में दो संस्थान के विद्यार्थी–शिक्षक रिक्त पदों के अनुसार कार्य कर सकते है।

द्वितीय चरण : जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालयों के संस्था–प्रधान एवं शिक्षकों के साथ चर्चा (दो दिवसीय आमुखीकरण)

विद्यालयों के चयन पश्चात् उन समस्त विद्यालयों के संस्था–प्रधान एवं एक एक शिक्षक के लिए डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नांकित होंगे :–

- समस्त संस्था–प्रधान एवं शिक्षकों का विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम से परिचित करवाना तथा बदलाव की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट कर कार्यक्रम के महत्त्व को समझने में मदद करना।
- 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के दौरान संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करना।
- 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार करना।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाना, ताकि वे अपनी 24 दिन की कार्ययोजना इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बना सकें।

चर्चा के बिन्दु

(अ) विद्यार्थी–शिक्षकों से संबंधित बिन्दु

- विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय तथा विद्यालय मे होने वाली विभिन्न गतिविधियों का परिचय देना एवं यह समझने में मदद करना कि विभिन्न विद्यालयी गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित होती हैं तथा इन गतिविधियों के संचालन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है।
- विद्यार्थी–शिक्षकों से विद्यालय में संस्था–प्रधान व शिक्षक की भूमिका के बारे में बातचीत करना।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय मे विभिन्न अभिलेखों, पंजिकाओं से अवगत कराना तथा उसकी जरूरत व उनके संधारण के उद्देश्य व तरीकों को समझने में मदद करना।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय की विभिन्न समितियों के बारे में परिचित करवाना, उनके कार्य को समझने में मदद करना।
- संस्था–प्रधान विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय के विद्यार्थियों (प्रत्येक छात्र–छात्रा) का व्यक्तिगत परिचय (उनकी विशेषताओं सहित) कराएँग जिससे उन्हें विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी।
- संस्था–प्रधान विद्यार्थी–शिक्षकों से विद्यार्थियों के अभिभावकों का परिचय भी कराएँगे ताकि उन्हें विद्यार्थियों की पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति से अवगत होने में मदद मिले।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को यह समझने में मदद करना कि उन्हें आगामी 24 दिनों में किन–किन कक्षाओं में अवलोकन कार्य करना है।

(ब) विद्यालय के संस्थाप्रधान से संबंधित बिन्दु

- 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन के दौरान संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी–शिक्षक अवलोकन का काम ठीक से कर पाएँ। अतः इस दौरान वे उन्हें विद्यालय के अन्य कार्यों से न जोड़ें। इन 24 दिनों के दौरान विद्यार्थी–शिक्षक केवल अवलोकन/अनुभव के साथ–साथ विद्यालयों के क्रियाकलापों को सिखेंगे ।

- संस्था प्रधान विद्यार्थी–शिक्षकों को अन्य विशिष्ट कार्य यथा सर्वे, केस स्टडी, प्रोफाइल, मननशील रिपोर्ट कक्षा 3 से 5 तक की किसी एक कक्षा की एक विषय की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, प्रोजेक्ट कार्य में आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करेंगे।
- विद्यालय स्वच्छता, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं अभियान पर चर्चा।
- संस्था प्रधान विद्यार्थी शिक्षकों को प्रपत्र 1 से 9 तक भरने में आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करेंगे।
- मूल्यांकन प्रक्रिया से अवगत करवायेंगे।

तृतीय चरण : 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी–शिक्षकों की डाइट/डी.एल.एड. संस्थान में तीन दिवसीय तैयारी

1. विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय अवलोकन हेतु भेजने से पूर्व डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षक संस्थान संस्थान में चर्चा कर अवलोकन के उद्देश्यों, निर्देशों एवं अवलोकन के समय ध्यान दी जाने वाली बातों को स्पष्ट करने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम की समय सारणी निम्नानुसार दी गई है जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा :–

24 दिवसीय अवलोकन कार्यक्रम की पूर्व तैयारी (03 दिवस)प्रत्येक दिवस में दो सत्र आयोजित किए जाएँगे

प्रथम दिवस

:: प्रथम सत्र ::

- परस्पर परिचय, कार्यक्रम का परिचय एवं उद्देश्य।
- विद्यार्थी–शिक्षकों से विद्यालयी जीवन के अनुभवों पर चर्चा।
- विद्यालय की प्रार्थना सभा एवं अन्य गतिविधियों पर चर्चा।
- विद्यार्थियों का विद्यालय से पलायन (क्तवचवनज), कारण एवं पुनः विद्यालय से जोड़ने के प्रयास पर चर्चा

:: द्वितीय सत्र ::

- सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
- एक अच्छा विद्यालय एव अच्छी कक्षा पर चर्चा
- प्रपत्र–1 विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट एवं प्रपत्र–3 दैनिक अवलोकन रिपोर्ट प्रपत्र भरवाने के संबंध में विस्तार से संवाद कर विद्यार्थी–शिक्षकों की शंकाओं का समाधान करना।
- आगामी दिवस की कार्ययोजना तैयारी सम्बन्धी निर्देश देना।

द्वितीय दिवस

:: प्रथम सत्र ::

- विशेष क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में वांछित सुविधाएँ एवं उनके शिक्षण हेतु प्रयास।
- विद्यालय प्रबंधन समिति की विद्यालय विकास में भूमिका।
- आर.टी.ई. के संदर्भ में बहुस्तरीय शिक्षण।
- संस्थाप्रधान की भूमिका पर चर्चा।

:: द्वितीय सत्र ::

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के संक्षिप्त जानकारी।
- बच्चे कैसे सीखते हैं?
- प्रपत्र–4 विद्यार्थियों के समूह से बातचीत, प्रपत्र–5 संस्थाप्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन, प्रपत्र–6 गाँव/शहर की सामान्य जानकारी, प्रपत्र–7 विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध, प्रपत्र–8 विद्यालयी अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट आदि भरवाने के संबंध में विस्तार से चर्चा एवं शंकाओं का समाधान।
- आगामी दिवस की कार्ययोजना तैयारी संबंधी निर्देश देना।

तृतीय दिवस

:: प्रथम सत्र ::

- शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अवलोकन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विद्यार्थी–शिक्षक की समझ बनाना।
- प्रपत्र–2 कक्षा अवलोकन रिपोर्ट पर चर्चा करना।
- कक्षा–कक्ष में शिक्षण अधिगम गतिविधियों के चयन एवं क्रियान्वयन पर समझ बनाना।
- पाठ्यपुस्तक विश्लेषण के बिंदुओं पर चर्चा एवं विद्यार्थियों–शिक्षकों में आवंटन।

:: द्वितीय सत्र ::

- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन/एसआईक्यूई
- विद्यार्थी प्रोफाईल संधारण, मननशील रिपोर्ट, विद्यालयी स्वच्छता, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान आदि के क्रियान्वयन पर चर्चा।
- विद्यार्थी–शिक्षक हेतु सर्वे/प्रोजेक्ट कार्य का आवंटन।
- प्रपत्र–7 विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध, प्रपत्र–8 विद्यालयी अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, प्रपत्र–9 खेल संबंधी जानकारी आदि भरवाने के संबंध में विस्तार से चर्चा एवं शंकाओं का समाधान।

चतुर्थ चरण : चयनित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन

इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय को समझ तथा इसके विभिन्न घटकों से परिचत हों, कक्षा–कक्ष प्रक्रिया एवं शिक्षण विधियों के क्रियान्वयन को समझें, विषयवस्तु के बारे में अपनी समझ बना पाएँ, कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय में शिक्षक की भूमिका को समझें, ताकि वे विद्यालय में विद्यार्थियों एवं समाज के प्रतिनिधियों क साथ भविष्य में क्या कार्य किया जाना है, यह तय करने में सक्षम हों। विद्यालय में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक, साहित्यिक, एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करें। विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य शारीरिक

गतिविधियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करें। विद्यालय संचालन विभाग के निर्देश एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

इस दौरान विद्यार्थी–शिक्षक प्रतिदिन 4 कालांश कक्षा–शिक्षण का अवलोकन करें। अवलोकन प्रत्येक विषय, शिक्षक एवं कक्षा का किया जाए। शेष 4 कालांशों में विद्यालय अभिलेखों, संचालित अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों, बैठकों यथा विद्यालय–प्रबंधन समिति, अध्यापक–अभिभावक परिषद् आदि का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करें। प्रपत्र संख्या 1 से 9 तक के अनुसार रिपोर्ट बनाकर शिक्षक–प्रशिक्षक से प्रमाणित कराकर उन्हें जमा करावें।

(क) डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान केसंस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक–प्रशिक्षकों के साथ चर्चा करना एवं दिशा निर्देश जारी करना जिससे वे विद्यार्थी–शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन दे सके।

1. 8 विद्यार्थी–शिक्षकों के प्रत्येक समूह के लिए डाइट/शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान का एक शिक्षक–प्रशिक्षक नियुक्त होगा, जिसके द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी–शिक्षक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाएगा।
2. सभी विद्यार्थी–शिक्षकों की डाइट/शिक्षक– प्रशिक्षण संस्थान में 24 दिवसों की अवधि में एक बैठक आयोजित की जायेंगी, जिसमें विद्यालय–अनुभव पर फीड बैक प्राप्त किया जाए।
3. विद्यार्थी–शिक्षक सम्पूर्ण समय विद्यालय में उपस्थित रहते हुए अवलोकन करें एवं विद्यालय में ही शिक्षकों से चर्चा करें, उनसे अपने अनुभवों, कठिनाइयों आदि को साझा करें एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम के अन्त तक विद्यार्थी–शिक्षक मननशील रिपोर्ट (त्मसिमबजपअम श्रवनतदंस) लिखने में सक्षम हो जाएँ।

    - विद्यार्थी–शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उपयुक्त संवाद तथा विद्यालय से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें।
    - विद्यार्थी–शिक्षक, शिक्षक व संस्थाप्रधान के मध्य समन्वय की स्थिति को सुनिश्चित करना।

(ख) विद्यार्थी–शिक्षक को विद्यालय अनुभव के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी देना

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण की समग्रता के साथ–साथ भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी देना है। साथ ही विद्यार्थी–शिक्षकों को शिक्षण अवलोकन एवं शिक्षण के लिए तैयार करना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित पक्ष सम्मिलित होंगे :–

1. समग्र एवं दैनिक शिक्षण–योजना की आवश्यकता, विषय वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण योजना में क्या व किस प्रकार सिखाया जा रहा है इस पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण का विकास। सीखने–सिखाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा।
2. समग्र शिक्षण–योजना एवं दैनिक शिक्षण योजना निर्माण की समझ।
3. विभिन्न विषयों की शिक्षण की विधियाँ।
4. वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी।
5. बच्चों के साथ कार्य करने के अनुभव को समझना व बाँटना।
6. कक्षा 1 से 5 तक पाठ्यपुस्तकों की समझ।
7. शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन व चर्चा आदि।
8. विद्यार्थी–शिक्षकों से डाइट / शिक्षक–प्रशिक्षक संस्थानमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

- विद्यालय एवं कक्षा विशेष के साथ कार्य करने की योजना बनाने में महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं / गतिविधियों को समझ पाने में मदद करना। विषयवस्तु से सम्बन्धित कठिनाइयों का समाधान करना।
- कक्षागत विषयवस्तु तथा अन्य मुद्दे जैसे–सीखने के अवसर कैसे बनाएँ? विषय वस्तुओं को पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं तथा पाठ्पुस्तक के माध्यम से ये उद्देश्य किस प्रकार पूरे होते हैं, इसे समझाना।
- कक्षा में किस तरह की क्रियाएँ तथा गतिविधिया की जा सकती हैं उनका परिचय, विषयगत महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा कर समझ विकसित करना।

- बच्चों के साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा।
- बच्चों के साथ खेलों के आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा।
- कक्षा–कक्ष अवलोकन पर चर्चा।
- बच्चों एवं शिक्षकों से किए जाने वाले संभावित सवाल जवाबों पर चर्चा।
- बच्चों के कक्षा–कार्य तथा गृह–कार्य की जाँच पर चर्चा ।
- रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन प्रपत्र पर चर्चा।
- बच्चों व उनके व्यवहार की समझ पर चर्चा।
- अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों पर बातचीत।
- विद्यालय व्यवस्था की समझ विकसित करने हेतु चर्चा।
- बच्चों के साथ खेलों के आयोजन पर चर्चा (24 दिन में से 08 दिन बच्चों के साथ खेल सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें स्वयं भी बच्चों के साथ खेलना होगा। खेल लगातार या बीच–बीच में कराए जा सकते हैं। खेल बच्चों की रुचि के अनुरूप होने चाहिए)
- विद्यालय में समुदाय की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा।

24 दिवसीय (चार सप्ताह) विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम में संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों का विवरण –

क्र.स.	प्रपत्र संख्या	भरे जाने की संख्या	विशेष विवरण
1	01	एक बार	प्रथम सप्ताह में
2	02	48 बार	प्रतिदिन – 2
3	03	24 बार	प्रतिदिन – 1
4	04	न्यूनतम 08 बार	प्रति सप्ताह – 2 कक्षा – 1 से 8 तक (प्रत्येक कक्षा)
5	05	04 बार	प्रति सप्ताह – 01
6	06	01 बार	द्वितीय सप्ताह में
7	07	01 बार	तृतीय सप्ताह में
8	08	01 बार	प्रति सप्ताह में में कम से कम चार अभिलेखों का नमूना तैयार करना।
9	09	न्यूनतम 08 बार	प्रति सप्ताह – 2 कक्षा – 1 से 8 तक (प्रत्येक कक्षा)

मूल्यांकन प्रक्रिया

मूल्यांकन विवरण योजना – प्रथम वर्ष

आंतरिक मूल्यांकन – 100 अंक

बाह्य मूल्यांकन–50 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा)

क्र. स.	गतिविधियों का विवरण	आंतरिक मूल्यांकन			बाह्य मूल्यांकन		योग
		प्रधानाध्यापक	डाइट	मौखिक	मौखिक	अवलोकन	
1.	कक्षा अवलोकन (प्राथमिक कक्षाएँ)	4	16	–	–	–	20
2.	कक्षा अवलोकन (उच्च प्राथमिक कक्षाएँ)	4	18	–	–	–	22
3.	**रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–** विद्यालय अभिलेख अवलोकन एवं संधारण (प्रपत्र संख्या 1,3,4,5,6,7,8 एवं 9 के अनुसार)	16	11				27
4.	मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण, सर्वे		09	06			15
5.	विद्यार्थी–शिक्षक की नियमितता, कार्यव्यवहार एवं विद्यालय गतिविधियों में योगदान	16	–	–	–	–	16
6.	**क्रियात्मक बाह्य परीक्षा** A.केसस्टडी B.कक्षा–कक्ष शिक्षण अधिगम गतिविधियों के अवलोकन का रिकॉर्ड I. प्राथमिक कक्षाएँ II- उच्च प्राथमिक कक्षाएँ				 05 10 10	 05 10 10	 10 20 20
		40	**54**	**06**	**25**	**25**	**150**

(अ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा–40 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा)

(1) कक्षा अवलोकन 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन के दौरान विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा शिक्षणप्रक्रिया/कक्षागत व्यवहार के अवलोकन के आधार पर (प्रपत्र संख्या–2 के आधार पर)

(i) प्राथमिक कक्षाओं के लिए – 04 अंक

(ii) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए – 04 अंक

(2) रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–

(i) प्रपत्र संख्या – 1,3,4,6,7 व 9 आधार पर – 12 अंक

(ii) विद्यालय अभिलेखों के मूल प्रारूप तैयार करना (प्रपत्र संख्या–08 के आधार पर) – 04 अंक

(3) विद्यालयी गतिविधियों में योगदान, नियमितता एवं कार्य व्यवहार – 16 अंक

(ब) डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन – 60 अंक (विभाजन निम्नानुसार रहेगा)

(1) 24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन के दौरान विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया/कक्षागत व्यवहार के अवलोकन एवं चर्चा के आधार पर (प्रपत्र संख्या–2 के आधार पर)

(i) प्राथमिक कक्षाओं के लिए – 16 अंक

(ii) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए – 18 अंक

(2) रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–

(i) प्रपत्र संधारण एवं चर्चा (प्रपत्र संख्या – 1,3,4,5,6,7 व 9 आधार पर) – 07 अंक

(ii) विद्यालय अभिलेखों के मूल प्रारूप तैयार करना व चर्चा (प्रपत्र संख्या–08 के आधार पर) – 04अंक

(3) (i) मननशील रिपोर्ट, प्रोफाईल संधारण एवं सर्वे (प्रति रिकॉर्ड 03 अंक) – 09 अंक

(ii) मौखिक (प्रति रिकॉर्ड 02 अंक) – 06 अंक

02. बाह्य मूल्यांकन – 50 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा)

(1) केस स्टडी – 10 अंक

(05 अंक रिकॉर्ड अवलोकन आधारित एवं 05 अंक मौखिक)

(2) कक्षा–कक्ष शिक्षण अधिगम गतिविधियों के अवलोकन के आधार पर – 40 अंक

(i) प्राथमिक कक्षाओं के लिए रिकॉर्ड आधारित – 10 अंक एवं मौखिक – 10 अंक

(ii) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रिकॉर्ड आधारित – 10 अंक एवं मौखिक – 10 अंक

मूल्यांकन हेतु निर्देश –

- विद्यालय अवलोकन की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है।
- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में पृथक्–पृथक् न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा।
- यदि किसी विद्यार्थी–शिक्षक को अवलोकन हेतु प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का अलग–अलग आवंटन होता है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रपत्र संख्या–1 (विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट) को दो विद्यालयों में संधारित करनी होगी।
- आंतरिक अंकों क मूल्यांकन का विवरण मूल्यांकन प्रपत्र 1 व 2 के अनुसार होगा।
- बाह्य मूल्यांकन के लिए दो बाह्य परीक्षक एवं डाइट/डी.एल.एड. प्रधानाचार्य सहित तीन सदस्यों का बोर्ड होगा।
- क्रियात्मक बाह्य परीक्षा हेतु 50 विद्यार्थी–शिक्षकों के लिए दो दिवस निर्धारित हैं।
- आवंटित विद्यालय में विद्यार्थी–शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी व अंग्रेजी की 6–6 एवं गणित व पर्यावरण की 4–4 शिक्षण प्रक्रिया/कक्षागत व्यवहार का अवलोकन करेंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी हिंदी व अंग्रेजी की 6–6 एवं गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं संस्कृत की 4–4 शिक्षण प्रक्रिया/कक्षागत व्यवहार का अवलोकन करेंगे।
- खेल सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं अभिलेख संधारण में विद्यार्थी–शिक्षक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

द्वितीय वर्ष

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

विद्यार्थी–शिक्षक प्रथम वर्ष में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के अवलोकन, उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी, विद्यार्थियों से पारस्परिक क्रिया करने के तौर–तरीकों को प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर का अनुभव प्राप्त कर चुके है। अतः यह आशा की जाती है कि वे द्वितीय वर्ष के 96 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में आत्मविश्वास के साथ सहजता से कार्य कर सकेंगे। द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी–शिक्षक प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के विद्यार्थियों के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए विद्यालय अनुभव प्राप्त करेंगे।

क्र. सं.	गतिविधियाँ	संभावित माह / कार्यदिवस
1.	इंटर्नशिप हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जिले का चयन	जुलाई
2.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त विद्यालयों के संस्था–प्रधानों एवं एक एक शिक्षकों के साथ चर्चा (दो दिवसीय उन्मुखीकरण)	जुलाई
3.	96 दिवसीय विद्यालय–अनुभव हेतु डाइट / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तैयारी बैठक	जुलाई से आवश्यकता अनुसार
4.	विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा चयनित विद्यालयों में शिक्षण अनुभव	जुलाई से आवश्यकता अनुसार
5.	इंटर्नशिप के पश्चात् किये गये शिक्षण कार्य की समग्र समीक्षा एवं आगामी समालोचना शिक्षण योजना निर्माण हेतु विद्यार्थी–शिक्षकों में कक्षा / प्रकरणों का आवंटन करना।	यथा समय
6.	समालोचना पाठ प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर	कार्य योजना समाप्ति पर

96 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

द्वितीय वर्ष में 96 दिवसीय विद्यालय अनुभव के लिए डाइट/शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान में 04 दिवसीय तैयारी बैठक।

विद्यार्थी–शिक्षक को शिक्षण अनुभव के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी देना।

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से विद्यार्थी–शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण की समग्रता के साथ–साथ भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी देना है। साथ ही विद्यार्थी–शिक्षकों को शिक्षण के लिए तैयार करना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित पक्ष सम्मिलित होंगे :–

1. समग्र एवं दैनिक शिक्षण–योजना की आवश्यकता, विषय वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण योजना में क्या व किस प्रकार सिखाया जायेगा इस पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण का विकास। सीखने–सिखाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा।
2. समग्र शिक्षण–योजना एवं दैनिक शिक्षण योजना निर्माण।
3. विभिन्न विषयों की शिक्षण की विधियाँ।
4. वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी।
5. बच्चों के साथ कार्य करने के अनुभव को समझना व बाँटना।
6. कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यपुस्तकों की समझ।
7. शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन व चर्चा आदि।

विद्यार्थी–शिक्षकों से डाइट/डी.एल.एड. संस्थान में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

- विद्यालय एवं कक्षा विशेष के साथ कार्य करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण बिन्दुओं/गतिविधियों को समझ पाने में मदद करना। विषयवस्तु से सम्बन्धित कठिनाइयों का समाधान करना।
- कक्षागत विषयवस्तु तथा अन्य मुद्दे जैसे– सीखने के अवसर कैसे बनाएँ? विषय वस्तुओं को पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं तथा पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ये उद्देश्य किस प्रकार पूरे होते हैं, इसे समझाना।

- कक्षा में किस तरह की क्रियाएँ तथा गतिविधिया की जा सकती हैं, उनका परिचय, विषयगत महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा कर समझ विकसित करना।
- बच्चों के साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने के संबंध में चर्चा।
- बच्चों के साथ खेलों के आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा।
- कक्षा–संचालन कैसे करें इस पर चर्चा ।
- बच्चों से किए जाने वाले संभावित सवाल जवाबों पर चर्चा।
- बच्चों के कक्षा–कार्य तथा गृह–कार्य की जाँच पर चर्चा ।
- बच्चों व उनके व्यवहार की समझ पर चर्चा।
- अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों पर बातचीत।
- विद्यालय व्यवस्था की समझ विकसित करने हेतु चर्चा।
- बच्चों के साथ खेलों के आयोजन पर चर्चा (96 दिन में से 10 दिन बच्चों के साथ खेल सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें स्वयं भी बच्चों के साथ खेलना होगा। खेल लगातार या बीच – बीच में कराए जा सकते हैं। खेल बच्चों की रुचि के अनुरूप होने चाहिए)
- विद्यालय में समुदाय की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा।
- शिक्षक–प्रशिक्षक विद्यार्थी–शिक्षक के साथ विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा करें, ताकि विद्यार्थी–शिक्षक 96 दिनों की प्रत्येक गतिविधि को पूरी गंभीरता और सतर्कता से सम्पन्न कर सकें।

विद्यार्थी–शिक्षकों को 96 दिवसों में किए जाने वाले कार्य एवं भूमिका से अवगत कराना।

1. विद्यालय में पहला विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण योजना के आधार पर प्रथम दो कालांश में शिक्षण करेगा, दूसरा विद्यार्थी–शिक्षक उसका अवलोकन करेगा।

अगले दो कालांशों में दूसरा विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा तथा पहला विद्यार्थी–शिक्षक अवलोकन करेगा।

2. विद्यार्थी–शिक्षक सजग रहे कि उनके शिक्षण कार्य का अवलोकन विद्यालय के शिक्षक करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट भी लिखेंगे।
3. दोनों विद्यार्थी–शिक्षक मिलकर विद्यालय के विद्यार्थी के साथ कार्य करेंगे एवं एक–दूसर को फीडबैक देंगे।
4. प्रति सप्ताह एक दिन विद्यार्थी–शिक्षक की विद्यालय के अध्यापकों एवं संस्था–प्रधान के साथ बैठक होगी। इस बैठक में विद्यार्थी–शिक्षक अपने कक्षा–कक्ष के अनुभव सभी के साथ बाँटेंगे यदि कहीं कठिनाई आ रही है तो उस पर भी बातचीत की जाएगी। बैठक का प्रतिवेदन डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे।

विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा विद्यालयों में 96 दिवसीय शिक्षण अनुभवः–

96 दिवसों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नांकित होंगे–

1. समग एवं दैनिक शिक्षण–योजना बनाना व क्रियान्विति करना।
2. आवंटित विद्यालय में प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1 से 5) में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषयों के 10–10 कालांश तथा कला शिक्षा के 6 कालांश में शिक्षण–कार्य कराया जायेगा। साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 6 से 8) में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक/विज्ञान, संस्कृत, विषयों के 10–10 कालांश तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 06 कालांश शिक्षण–कार्य कराया जायेगा। यह कार्य विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में किया जायेगा तथा कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी–शिक्षक साथ मिल कर जाएँगे। प्रथम दो कालांश में एक विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा तथा दूसरा अवलोकन करेगा। अगले दो कालांश में दूसरा विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा तथा पहला

अवलोकन करेगा। शेष कालांशों में आगामी दिन के लिए दोनों मिलकर शिक्षण योजना बनाएँगे।

4. विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा में पढ़ाए जाने वाली विषयवस्तु को मात्र सम्प्रेषित करने के बजाय इस प्रकार की कार्यनीति अपनाएँ जिससे विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का सृजन कर सकें।
5. विद्यार्थी–शिक्षक अपने साथी द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्य का अवलोकन करेगा एवं सम्बन्धित प्रारूप–2 भरेगा। इन अवलोकनों के आधार पर अपनी योजना में सुधार के लिए परिवर्तन करेगा साथ ही साथी विद्यार्थी–शिक्षक को सुझाव भी देगा। कक्षा अवलोकन का यह कार्य साथी शिक्षक में सकारात्मक वांछित बदलावों की अपेक्षा रखता है।
6. सहयोगी विद्यार्थी शिक्षक कक्षा के प्रारंभ से अंत तक की शिक्षण प्रक्रिया, अन्तः क्रियाओं व परिस्थितियों का सुझावात्मक व विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करेगा। इस सूक्ष्म अवलोकन में उन घटनाओं, बच्चों की प्रतिक्रियाओं सहायक सामग्रियों व कक्षागत परिस्थितियों का आदर्श शिक्षण के संदर्भ में विवेचन होना चाहिए। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा की उपयुक्तता, बच्चों की भागीदारी, उनकी सीखने के प्रति उत्सुकता, रुचि इत्यादि के संदर्भ में निष्पक्ष टिप्पणी की जानी चाहिए। सुझावात्मक टिप्पणी में उन बिन्दुओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए जिसे आप साथी शिक्षक के शिक्षण व कक्षागत व्यवहार एवं स्वयं के शिक्षण में उसका उपयोग करते हैं। इस विवरण को भरते समय व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ समालोचना का उद्देश्य राकारात्मक फीडबैक देगा।
7. स्थानीय खेलों की जानकारी प्राप्त कर विद्यार्थियों के साथ खेले।
8. गतिविधियाँ करते समय विद्यार्थी–शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया पर अधिक से अधिक बल देवे और शिक्षण इस प्रकार करें कि कक्षा में एक समावेशित वातावरण स्थापित हो तथा विद्यार्थी एक रचनावादी कक्षा की स्थापना में सहायक हो।
9. गतिविधियाँ करते समय तदनुसार विषयवस्तु का मूल्यांकन किया जाए।

10. विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों को विषयवस्तु सम्बन्धी संदर्भ पुस्तकों तथा इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट की जानकारी दें।
11. विद्यार्थी–शिक्षक क्रियात्मक–अनुसंधान हेतु समस्या का चयन करके सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करें। समूह में इसकी चर्चा कर परिकल्पना बनाएँ, आंकड़े एकत्रित कर विश्लेषण करें। और निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें।
12. विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय मे होने वाली सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें, जैसे प्रार्थना–सभा में उपस्थित रहना, विज्ञान–क्लब आदि गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना।
13. विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय–अनुभव अवधि में विद्यालय में स्वयं की गतिविधियों पर रिकार्ड तैयार करें तथा इसका समालोचनात्मक विश्लेषण डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तुत करें।
14. राष्ट्रीय पर्व, उत्सव जयन्तियाँ, मिड–डे–मिल, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, जेण्डर संवेदनशीलता, सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं राष्ट्रीय महत्व की अन्य योजनाओं के बारे में विद्यार्थी–शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
15. विद्यार्थी–शिक्षक आंवटित विद्यालय में SMC की आयोजित बैठक में नियमित रूप से भाग लेवें।

मूल्यांकन प्रक्रिया
मूल्यांकन विवरण योजना – द्वितीय वर्ष
प्राथमिक कक्षाओं के लिए (कक्षा 1 से 5 तक)

क्र.स.	गतिविधियों का विवरण	आन्तरिक मूल्यांकन			बाह्य मूल्यांकन		योग
		विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षक द्वारा	डाइट / डी. एल. एड. संस्थान द्वारा	डाइट / डी. एल. एड. संस्थान द्वारा मौखिक	बाह्यपरीक्षक द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक बाह्य परीक्षा	
1.	I. 96 दिवसीय विद्यालय इंटर्नशिप कार्यक्रम में 46 दिन कक्षा 1 से 5 तक के लिए इंटर्नशिप में समग्र शिक्षण योजना व रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–दैनिक शिक्षण योजना	50	60	.	.	.	110
	II. केस स्टडी	.	.	.	15	.	15
2.	**"कक्षा 1 से 5 की एक पाठ्यपुस्तक"** का विश्लेषण, प्रपत्रों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण, सर्वे कार्य (प्रति रिकार्ड 7 अंक) लिखित–04 अंक, मौखिक–03 अंक	.	20	15	.	.	35
3.	समालोचना पाठ–5 विषय (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण विषय प्रति विषय 12 अंक एवं कला शिक्षा 7 अंक)	.	55	.	.	.	55
4.	1 क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (फाइनल लेसन)	.	.	.	10	50	60
5.	**योग**	**50**	**135**	**15**	**25**	**50**	**275**

(अ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा– 50 अंक (अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा)

1. प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में 46 दिवसीय विद्यालय अनुभव में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किये गये कक्षा–कक्ष शिक्षण/कक्षागत व्यवहार अवलोकन प्रारूप–2 के आधार पर प्रति दैनिक पाठ का) अंक। (23 अंक)
   1. विद्यालय गतिविधियों में योगदान, अनुशासन एवं नियमितता (10 अंक)
   2. अपने सहयोगी विद्यार्थी शिक्षक का कक्षा अवलोकन एवं मूल्यांकन कार्य (07 अंक)
   3. विद्यार्थियों के गृहकार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जाँच (05 अंक)
   4. कक्षा शिक्षण में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) का उपयोग (05 अंक)

(ब) डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन – 135 अंक (अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा)

1. समग्र शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) (30 अंक)
2. प्राथमिक स्तर पर पढ़ाये गये दैनिक शिक्षण योजना का मूल्यांकन (30 अंक)
3. कक्षा 1 से 5 तक की एक विषय की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण (04 अंक)

– प्रपत्रों का संधारण – (04 अंक)
– मननशील रिपोर्ट – (04 अंक)
– प्रोफाइल संधारण – (04 अंक)
– सर्वे कार्य – (04 अंक)

डाइट/शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान द्वारा मौखिक परीक्षा (पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, प्रपत्रों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण, सर्वे कार्य – प्रत्येक के 03 अंक –03× 05 = 15 अंक

1. समालोचनात्मक शिक्षण–5 विषय (हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण) प्रति विषय (12 अंक) एवं कला शिक्षा (07 अंक)

बाह्य मूल्यांकन : 75 अंक (अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा)

बाह्य परीक्षक द्वारा मौखिक – 25

– केस स्टडी (15 अंक)
– क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (10 अंक) (फाइनल लेसन पर आधारित)

बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक बाह्य परीक्षा – (50 अंक)
(फाइनल लेसन पर आधारित)

मूल्यांकन प्रक्रिया
मूल्यांकन विवरण योजना – द्वितीय वर्ष
उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए (कक्षा 6 से 8 तक)

क्र. स.	गतिविधियों का विवरण	आन्तरिक मूल्यांकन			बाह्य मूल्यांकन		योग
		विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षक द्वारा	डाइट / डी. एल. एड. संस्थान द्वारा	डाइट / डी.एल. एड. संस्थान द्वारा मौखिक	बाह्यपरीक्षक द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक बाह्य परीक्षा	
1.	I. 96 दिवसीय विद्यालय इंटर्नशिप कार्यक्रम में 46 दिन कक्षा 6 से 8 तक के लिए इंटर्नशिप में समग्र शिक्षण योजना व रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–दैनिक शिक्षण योजना	50	60	–	–	–	110
	II. क्रियात्मक अनुसंधान	–	–	–	15	–	15
2.	कक्षा 6 से 8 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, प्रपत्रों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, सर्वे कार्य एवं प्रोजेक्ट प्रति रिकॉर्ड 07 अंक) लिखित 04 अंक, मौखिक–03 अंक	–	20	15	–	–	35
3.	6 समालोचना पाठ (हिन्दी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान / विज्ञान, प्रति विषय 10 अंक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 5 अंक)	–	55	–	–	–	55
4.	1 क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (फाइनल लेसन)	–	–	–	10	50	60
5.	**योग**	**50**	**135**	**15**	**25**	**50**	**275**
	महायोग A+B	**100**	**270**	**30**	**50**	**100**	**550**
	प्रतिशत भार	73%			27%		100%

उच्च प्राथमिक स्तर

(अ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा– 50 अंक (अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा)

1. उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में 46 दिवसीय विद्यालय अनुभव में विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किये गये कक्षा–कक्ष शिक्षण/कक्षागत व्यवहार अवलोकन प्रारूप–2 के आधार पर प्रति दैनिक पाठ का) अंक। (23 अंक)
2. विद्यालय गतिविधियों में योगदान, अनुशासन एवं नियमितता (10 अंक)
3. अपने सहयोगी विद्यार्थी शिक्षक का कक्षा अवलोकन एवं मूल्यांकन कार्य (07 अंक)
4. विद्यार्थियों के गृहकार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जाँच (05 अंक)
5. कक्षा शिक्षण में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) का उपयोग (05 अंक)

(ब) डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन – 60 अंक (अंक का ि वभाजन निम्नानुसार होगा)

1. समग्र शिक्षण योजना (उच्च प्राथमिक स्तर) (30 अंक)
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाये गये दैनिक शिक्षण योजना का मूल्यांकन (30 अंक)
3. कक्षा 06 से 08 तक की एक विषय की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण (04 अंक)
   - प्रपत्रों का संधारण – (04 अंक)
   - मननशील रिपोर्ट – (04 अंक)
   - प्रोफाइल संधारण – (04 अंक)
   - सर्वे कार्य – (04 अंक)

   डाइट/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मौखिक परीक्षा (पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, प्रपत्रों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण, सर्वे कार्य – प्रत्येक के 03 अंक –03×05= 15अंक
4. समालोचना पाठ–5 विषय (हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण) प्रति विषय (12 अंक) एवं कला शिक्षा (07 अंक)

बाह्य मूल्यांकन : 75 अंक (अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा)

बाह्य परीक्षक द्वारा मौखिक – 25

– क्रियात्मक अनुसंधान (15 अंक)

– क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (10 अंक) (फाइनल लेसन पर आधारित)

बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक बाह्य परीक्षा – (50 अंक) (फाइनल लेसन पर आधारित)

1. 96 दिन के इंटर्नशिप प्रोग्राम।
2. प्राथमिक कक्षाओं के लिए 46 दिन इंटर्नशिप के रहेंगे।
3. 02 दिन प्राथमिक कक्षाओं में समालोचनात्मक शिक्षण के रहेंगे।
4. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 46 दिन इंटर्नशिप के रहेंगे।
5. 02 दिन उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8) में समालोचनात्मक शिक्षण के रहेंगे।

❖ **"प्रथम वर्ष में की गई पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण।"**

कला–शिक्षा

शिक्षण योजना निर्माण हेतु सुझावात्मक शिक्षण बिन्दु

1. रूपप्रद कला

(अ) चित्रात्मक अनुभव (द्विआयामी)

- रंग, रेखा
- रेखांकन
- रंगांकन
- छापांकन
- कोलाज
- मांडना
- रंगोली

(ब) लक्षणात्मक अनुभव (त्रिआयामी)

- मिट्टी से शिल्प निर्माण
- अनुपयोगी सामग्री से कलात्मक सामग्री निर्माण (सृजनात्मक)
- आकृति निर्माण
- मुखौटा निर्माण
- पुतली निर्माण

2. प्रदर्शनात्मक कला

(अ) संगीत

- गायन – प्रार्थना, देशभक्ति गीत, प्रयाण गीत, लोक गीत
- वाद्य यंत्रों की जानकारी
- नृत्य – लोक नृत्य

(ब) नाट्य

- रोल प्ले
- पाठ्यपुस्तकों को आधार बना नाट्य रूपान्तरण करना।
- एकाभिनय

उपर्युक्त चारों उपसमूहों में से प्रत्येक समूह से एक विषय पर पाठयोजना बनाई जानी चाहिये।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

शिक्षण योजना निर्माण हेतु सुझावात्मक शिक्षण बिन्दु

1. विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में स्वस्थ रहने की समझ विकसित करना।
2. स्वस्थ रहने हेतु अच्छी आदतों का अनुसरण करना सीखना : जैसे – स्वयं की स्वच्छता, परिवेश स्वच्छता, अनुशासन, भोजन की शुद्धता आदि।
3. विद्यार्थियों में सामाजिक व मानसिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार आचरण कर समझ विकसित करना।
4. संतुलित भोजन व कुपोषण की जानकारी देना।
5. प्राथमिक उपचार, मौसमी बीमारियों आदि से बचाव के उपाय बताना।
6. पर्यावरण को शुद्ध रखने की समझ बढाना।
7. शारीरिक व मानसिक विकास हेतु व्यायाम, यौगिक क्रियाआ के महत्त्व को समझाना।
8. खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सहयोगात्मक, भावनात्मक, नेतृत्व क्षमता विकास की समझ विकसित करना।
9. किशोरावस्था में विद्यार्थियों में आने वाले बदलाव के प्रति भावनात्मक सोच अनुसार, संवेदनशील बनाने में सहयोग देना।
10. विद्यार्थियों में जीवन कौशल सिखाने में सकारात्मक भूमिका का योगदान देना।

अवलोकन प्रपत्र

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक, अभ्यास परक और अनुभव आधारित बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक स्तर पर हुए अनुभवों एवं क्रिया–कलापों की समुचित जानकारी का व्यवस्थित मूल्यांकन करने की दृष्टि से विभिन्न अवलोकन प्रपत्र विकसित किए गए हैं, जो विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा, शिक्षक–प्रशिक्षकों द्वारा और संस्था–प्रधान/ विद्यालय शिक्षकों द्वारा भरे जाएँगे।

इनकी पूर्ति करने से विद्यार्थी–शिक्षकों के अवलोकन स्तर का विस्तार होगा। उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, और वे अनेक छोटी–छोटी समस्याओं को भी देखना सीख सकेंगे। साथ ही यह शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी तीनों के उन्नयन में सहायक होगा। यहाँ अवलोकन प्रश्नों के प्रारूप दिये गये है। विद्यार्थी–शिक्षक इनमें सम्बन्धित जानकारियों/सूचनाओं को लिखने के लिए अलग से प्रपत्र बनायें जिनमें आवश्यक जानकारियों/सूचनाओं के लिए पर्याप्त स्थान हो।

1. प्रपत्र–1 विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट
2. प्रपत्र–2 (24 दिवसीय) कक्षा अवलोकन रिपोर्ट
3. प्रपत्र–3 (24 दिवसीय) विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट
4. प्रपत्र–4 (24 दिवसीय) विद्यार्थियों के समूह से बातचीत
5. प्रपत्र–5 (24 दिवसीय) संस्था–प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन
6. प्रपत्र–6 (24 दिवसीय) गाँव/शहर की सामान्य जानकारी
7. प्रपत्र–7 (24 दिवसीय) विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध
8. प्रपत्र–8 (24 दिवसीय) विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट
9. प्रपत्र–9 (24 दिवसीय) खेल संबंधी जानकारी
10. प्रपत्र–10 (96 दिवसीय) कक्षा अवलोकन प्रपत्र (सहयोगी के रूप में)
11. प्रपत्र–11 (96 दिवसीय) संस्था–प्रधान/शिक्षक के साथ **10** दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट
12. प्रपत्र–12 (96 दिवसीय) विद्यालयी गतिविधियों में भागीदारी
13. प्रारूप–1 समग्र शिक्षण योजना
14. प्रारूप–2 दैनिक शिक्षण योजना
15. मूल्यांकन प्रपत्र–1 (अ), 1 (ब) प्रथम वर्ष

    मूल्यांकन प्रपत्र–2 (अ), 2 (ब) द्वितीय वर्ष

    मूल्यांकन प्रपत्र 3 (अ), 3 (ब) द्वितीय वर्ष
16. प्रस्तावित समय सारणी प्रथम वर्षसमय सारणी द्वितीय वर्ष

प्रपत्र–1 (24 दिवसीय अवलोकन)

विद्यालय–अवलोकन रिपोर्ट

(अ) परिचयात्मक सूचना

विद्यालय का नाम :– दिनांक :–

संस्था–प्रधान का नाम :–

अवलोकनकर्ता का नाम :–

(ब) विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट

1. विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति :–

क्र. स.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	RTE मानदण्ड के अनुसार आवश्यकता
1.	प्रधानाध्यापक			
2.	अध्यापक			
3.	सहायक कर्मचारी			

2. विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि (नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता की स्थिति –)

क्र. सं.	विवरण	कक्षा (अभिभावकों की संख्या भरें)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रमिक								
2.	व्यापारी								
3.	नौकरी–पेशा								
4.	अन्य								

3. नामांकन : कक्षावार एवं वर्गवार

कक्षा	नामांकन																					गत माह की औसत उपस्थिति
	कक्षावार			अ.जा.			अ.ज.जा			अ.पि.व.			सामान्य			अल्प सं.			विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी			
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
1																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						

4. गत सत्र में विद्यालय से ड्राप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षा वार संख्या
5. बालक व बालिकाओं के ड्राप आउट होने के मुख्य कारणों पर टिप्पणी –
6. ड्राप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने के प्रयास –
7. चाईल्ड ट्रैकिंग सर्वे (CTS) के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या –
8. विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या
9. विद्यालय भवन की स्थिति :

क्र.स.	विवरण	उपलब्ध (हाँ / नहीं)	स्थिति	अपेक्षित सुधार
1.	कक्षा–कक्ष			
2.	बरामदा			
3.	प्र.अ.कक्ष			
4.	चारदीवारी			
5.	खेल मैदान			
6.	अध्यापक कक्ष			
7.	आँगनबाड़ी			
8.	कम्प्यूटर कक्ष			
9.	पुस्तकालय कक्ष			
10.	सभा कक्ष			

10. विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति –

1. क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है? हाँ / नहीं।
2. क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है ? हाँ / नहीं।
3. क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु, विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध है। हाँ / नहीं।
4. क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है? हाँ / नहीं।

11. क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध है। हाँ / नहीं।

12. कक्षा–कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर वर्णन के साथ टिप्पणी करें।

दरीपट्टी / जाजम / टेबल कुर्सी / डेस्क / अन्य

13. विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी

14. क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है ? हाँ/नहीं।

15. क्या विद्यालय में पेय जल की व्यवस्था है? हाँ/नहीं।

यदि हाँ तो नल कूप/हैण्डपंप/कुआँ/नल/अन्य के रख–रखाव, साफ–सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी करें।

16. विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें।

17. क्या विद्यालय में फर्स्ट–एड–बॉक्स उपलब्ध है? हाँ/नहीं।

18. क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय है जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकम्प रोधी भवन आदि और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है टिप्पणी लिखें।

19. विद्यालय में शौचालय व्यवस्था :–

विवरण	उपलब्धता (हाँ/नहीं)	स्थिति		
		बिजली	पानी	साफ–सफाई
बालक				
बालिका				
महिला शिक्षक				
पुरूष शिक्षक				

20. विद्यालय मे विद्यालय–वाटिका है? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो रखरखाव की स्थिति पर टिप्पणी करें।

21. क्या विद्यालय में मध्याह्न – भोजन (Mid Day Meal) व्यवस्था है।

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वच्छता पर टिप्पणी लिखें –

22. प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों–शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखें।

23. विद्यालय में उत्सव/पर्व एवं जयन्तियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखें।

24. विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं? हाँ/नहीं

25. विद्यालय में प्रत्येक कक्षा–कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है? हाँ/नहीं

यदि 'हाँ' तो इनके उपयोग की स्थिति–

26. विद्यालय में पुस्तकालय है? हाँ/नहीं

(क) यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या –

(ख) प्रतिमाह विद्यार्थियों एवं शिक्षको को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या

(ग) क्या समय–सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है? हाँ/नहीं

(घ) पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी करें।

27. विद्यालय मे डिस्प्ले बोर्ड है? हाँ/नहीं

28. विद्यालय में कम्प्यूटर ह ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो कम्प्यूटर की संख्या एवं उपयोग पर टिप्पणी

29. विद्यालय मे इन्टरनेट की सुविधा हैं ? हाँ/नहीं

यदि हां ता इन्टरनेट के उपयोग पर टिप्पणी।

30. विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी।

31. विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या

32 क्या छात्रवृति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं?

33. विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण।

प्रमाणित
हस्ताक्षर दिनांक सहित

हस्ताक्षर
विद्यार्थी–शिक्षकशिक्षक–प्रशिक्षक

प्रपत्र–2 (24 दिवसीय)

कक्षा अवलोकन रिपोर्ट

(अ) परिचयात्मक सूचना

विद्यालय का नाम :– अवलोकन दिनांक :–

शिक्षक का नाम :– अवलोकनकर्ता का नाम :–

कक्षा :– विषय:–

प्रकरण :–

(ब) विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट–

विद्यार्थी–शिक्षक निम्नांकित बिन्दुओ के आधार पर कक्षा शिक्षण का संपूर्ण कालांश अवलोकन कर निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार विवरण तैयार करें।

1. क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुँचा ? हाँ/नहीं
   यदि 'नहीं' तो कितने विलम्ब से –
2. क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी ? हाँ/नहीं
   यदि 'नहीं' तो किस प्रकार की थी?
3. क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की है ?हाँ/नहीं
4. कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया ?
5. क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया ?
   यदि हाँ तो उल्लेख करें –
6. कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी ?हाँ/नहीं
7. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ–कहाँ कठिनाइयों का अनुभव कियागया?
8. कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया ?
9. किन कठिनाइयों का निवारण नही किया गया?
10. क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए?
11. कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्याम–पट्ट के उपयोग पर टिप्पणी करें
12. कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ ?

(समस्या प्रस्तुत कर/चिन्तन के लिए अवसर देकर/गृह कार्य प्रदत्त कर/समेकित करते हुए/अकस्मात् समाप्त/अन्य)

13. कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन-कौन सी गतिविधियाँ प्रभावी लगीं। कारण सहित उल्लेख करें।

14. आपको शिक्षक के किन-किन गुणों ने प्रभावित किया और क्यों ?

15 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधा को अपनाया गया ?

हाँ/नहीं

16 क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो उनके शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या-क्या विशेष प्रयास किए गए ?

17. कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया ?

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो उदाहरण सहित बताये?

18. विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया गया ? हाँ/नहीं

प्रमाणित
हस्ताक्षर दिनांक सहित
शिक्षक-प्रशिक्षक

हस्ताक्षर
विद्यार्थी-शिक्षक

प्रपत्र–3 (24 दिवसीय)

विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट

(अ) परिचयात्मक सूचना

विद्यालय का नाम :– अवलोकन दिनांक :–

अवलोकनकर्ता का नाम :–

(ब) विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट

(विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय के समस्त कार्यक्रम की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करेंगे)

1. क्या विद्यालय का प्रारम्भ निर्धारित समय पर हुआ ? हाँ / नहीं
2. क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। हाँ / नहीं

   यदि नहीं तो क्या कारण रहे (कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर)
3. प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया ?
4. क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ / नहीं
5. क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था?हाँ / नहीं
6. अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ?
7. क्या विद्यालय में सह–शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया ? हाँ / नहीं

   यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गयी?

   आयोजित गतिविधियों में क्या–क्या सुधार अपेक्षित है?
8. विद्यार्थियों के मध्याह्न–भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी करें ?
9. क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? हाँ / नहीं

   यदि नहीं तो क्या कारण रहे?
10. क्या विद्यालय समय पश्चात् विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्नचित्त थे? हाँ / नहीं

प्रमाणित हस्ताक्षर

हस्ताक्षर दिनांक सहित विद्यार्थी–शिक्षक

शिक्षक–प्रशिक्षक

प्रपत्र–4 (24 दिवसीय)

विद्यार्थियों के समूह से बातचीत

(अ) **सूचनात्मक :–**

विद्यालय का नाम :– दिनांक :–

विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा :–

विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :–

(ब) **समूह बातचीत विवरण :–**

(निर्देश : विद्यार्थी–शिक्षक आवंटित कक्षा के विद्यार्थियों से विद्यालय लगने से पूर्व, अवकाश में एवं खेल के मैदान में निम्नलिखित प्रश्नों पर बातचीत के आधार पर समेकित विवरण लिखें। सभी विद्यार्थी शिक्षक पृथक–पृथक समूह से बात करेंगे। विद्यार्थियों से यह कहें कि वे निःसंकोच होकर बतायें। उनके जवाब आपके पास गोपनीय रहेंगे)

1. क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? हाँ/नहीं
   यदि अच्छा लगता है, तो क्यों?
2. आप विद्यालय कैसे आते हैं?
3. विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है?
4. आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों ?
5. क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? हाँ/नहीं
   यदि 'नहीं', तो क्यों?
6. आपको कौन–कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है ?
7. आपको कौन–कौन से खेल अच्छे लगते हैं?
8. क्या आपके अभिभावक/माता–पिता/अन्य परिवार के सदस्य शराब,बीड़ी,सिगरेट,भाँग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते है?
   हाँ/नहीं
   यदि 'हाँ' तो इससे परिवार में क्या समस्याएँ उत्पन्न होती है।
9. आपके घर में कितने सदस्य पढ़े–लिखे नहीं हैं ?
   पढ़े–लिखे नहीं होने के क्या कारण है ?
10. आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या–क्या सुविधाएँ होनी चाहिए?

प्रमाणित

हस्ताक्षर हस्ताक्षर दिनांक सहित

शिक्षक–प्रशिक्षक विद्यार्थी–शिक्षक

प्रपत्र–5 (24 दिवसीय)

संस्था प्रधान के क्रिया–कलापों का अवलोकन

(अ) सूचनात्मक :–

संस्था–प्रधान का नाम : –

अवलोकन दिनांक :–

संस्था प्रधान की शैक्षिक एवं प्रशैशिक्षक योग्यता :–

अवलोकनकर्ता का नाम :–

(ब) विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट

निर्देश : विद्यार्थी शिक्षक संस्था–प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर कर सकते हैं?

1. संस्था–प्रधान कौन–कौनसी कक्षाओं में शिक्षण करते है?
2. संस्था–प्रधान का अध्यापकों के साथ सम्बन्ध कैसा है ?
3. क्या संस्था–प्रधान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ –

– योजना बनाते है ? हाँ/नहीं

– समयबद्ध कार्य निस्पादन की सारिणी बनवाते हैं ? हाँ/नहीं

– संस्था–प्रधान विभिन्न कार्यो को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहितकरते हैं ? हाँ/नहीं

– कार्य सफलतापूवर्क करने के लिए विचार–विमर्श करते हैं। हाँ/नहीं

3. संस्था–प्रधान का समुदाय के साथ कैसा सम्बन्ध है?

(क) बहुत अच्छा (ख) अच्छा (ग)संतोषजनक

4. क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक–उत्सव में आमन्त्रित किये जाते है ? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो क्या समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है? हाँ/नहीं

5. संस्था–प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है?

प्रजातान्त्रिक/मधुर/कठोर/तानाशाही।

6. संस्था–प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक बैठक करते है? हाँ/नहीं

– यदि हाँ, तो क्या बैठक में हुई चर्चा में हुए निर्णयों का रिकॉर्ड उपलब्ध है।

– क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास भय मुक्त जा सकते है?हाँ/नहीं

– संस्था प्रधान का व्यवहार– अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के साथ कैसा है? प्रजातान्त्रिक/मधुर/कठोर/तानाशाही।

7. क्या संस्था–प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनायी है? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो कौन–कौनसी योजना बनायी है?

8. क्या संस्था–प्रधान अध्यापकों के कक्षा–शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो कैसे?

9. विद्यालय में संस्था–प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व, सभी को योग्यता एवं क्षमतानुसार सौंपते है? हाँ/नहीं

संस्था प्रधान की नेतृत्वकर्त्ता के रूप में भूमिका पर टिप्पणी –

11. क्या संस्थाप्रधान विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं का समय–समय पर अवलोकनकरते हैं? हाँ/नहीं

12. क्या संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक–दैनन्दिनी एवं शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है। हाँ/नहीं

13. नोडल स्तर पर अन्य विद्यालयों के साथ संबंध एवं समन्वयन पर टिप्पणी लिखें।

प्रमाणित
हस्ताक्षर दिनांक सहित

हस्ताक्षर
विद्यार्थी–शिक्षकशिक्षक–प्रशिक्षक

प्रपत्र 6 (24 दिवसीय)

गाँव/शहर की सामान्य जानकारी

विद्यालय का नाम : विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :

1. गाँव/मोहल्ले का नाम : .....
2. पंचायत समिति का नाम : .....
3. जिले का नाम : .....
4. गाँव/शहर की जनसंख्या : .....
5. गाँव/शहर में साक्षरता की स्थिति : .....
6. आवागमन का साधन (रेलगाड़ी, बस, मिनीबस, तिपहिया–वाहन, दुपहिया–वाहन आदि)
7. पेय–जल की सुविधा
8. चिकित्सा,बिजली,दूरसंचार की सुविधा
9. शौचालय की सुविधा – 1. सार्वजनिक 2. घरों में
10. रोजगार की स्थिति (कृषि/नौकरी/मजदूरी/अन्य व्यवसाय आदि)
11. तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या (प्रा.वि.,उ.प्रा.वि.,मा.वि, उ.मा.वि, आंगनबाड़ी)
12. गाँव/शहर में संचालित स्वयं सहायता–समूह एवं उनके कार्य
13. सरपंच/नगर पालिका/नगर परिषद/निगम अध्यक्ष का नाम
14. गाँव/मोहल्ले में बैंक : पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था।
15. गाँव में धार्मिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन
16. उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएँ –
17. अभिभावकों/समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएँ –

प्रमाणित
हस्ताक्षर
सहितशिक्षक–प्रशिक्षक

हस्ताक्षर दिनांक
विद्यार्थी–शिक्षक

प्रपत्र 7 (24 दिवसीय)

विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध

विद्यालय का नाम : **विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :**

पंचायत समिति का नाम :

जिला :–

1. क्या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नियमानुसार किया गया है ? हाँ/नहीं
2. पिछली/गत बैठक में उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों की संख्या।
3. गत वर्ष बैठकों में लिए गए, महत्त्वपूर्ण निर्णय –
4. बैठक में लिए गए निर्णयों की, क्रियान्विति का विवरण –
5. विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा
6. कैसे किया जाता है। टिप्पणी लिखें।
7. भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण –
8. विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण–
9. क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं ?
   यदि नहीं तो क्यों : .....
   यदि हाँ तो क्यों.....
10. विद्यालय प्रांगण का स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपयोग का विवरण।
11. सांस्कृतिक/खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता का विवरण।
10. साक्षरता/पर्यावरण चेतना सम्बन्धी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनमें समुदाय की सहभागिता की जानकारी
11. शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत/समुदाय के व्यक्तियों के समय–समय पर विद्यालय में आने का विवरण एवं उनके सुझावों की जानकारी।

प्रमाणित
हस्ताक्षर दिनांक सहित
शिक्षक–प्रशिक्षक

हस्ताक्षर
विद्यार्थी–शिक्षक

प्रपत्र 8 (24 दिवसीय)

विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट

(अ) सूचनात्मक

विद्यालय का नाम : नाम विद्यार्थी–शिक्षक :

दिनांक :

(ब) विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट

निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन करें और संधारण पर विस्तृत टिप्पणी लिखें, साथ ही प्रत्येक रजिस्टर/अभिलेख का नमूना तैयार कर इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

अभिलेख का नाम

1. छात्र उपस्थिति पंजिका
2. शिक्षक उपस्थिति पंजिका
3. स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका
4. मध्याह्न भोजन पंजिका
5. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पंजिका
6. विद्यालय अनुदान पंजिका
7. भवन मरम्मत पंजिका
8. विद्यालय प्रबंधन समिति
9. पुस्तकालय पंजिका
10. स्काउट गाइड पंजिका
11. खेलकूद सामग्री एवं भण्डार रजिस्टर
12. परीक्षा परिणाम रजिस्टर
13. बुक बैंक पंजिका
14. छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर
15. अतिथि पंजिका
16. रोकड़ पंजिका
17. विद्यालय में संधारित अन्य अभिलेख

प्रमाणित हस्ताक्षर

हस्ताक्षर दिनांक सहित विद्यार्थी–शिक्षक

शिक्षक–प्रशिक्षक

प्रपत्र–9 (24 दिवसीय) खेल सम्बन्धी जानकारी

(विद्यार्थी–शिक्षकों की खेलों में सहभागिता के आधार पर)

(अ) सूचनात्मक –

विद्यालय का नाम :– दिनांक :–

विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :–

(ब) खेलो की जानकारी–

1. स्थानीय खेलों की सूची –
2. बच्चों के आयु वर्ग तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन
3. समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था है हाँ / नहीं
4. खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता
5. खेल खेलाने की गतिविधि, बच्चो के साथ घुलने–मिलने में कितनी सहायक सिद्ध हुई ?
6. क्या आप स्वयं भी बच्चों के साथ मिलकर खेले थे ?

नोट :– खेल चयन करने के लिए अच्छा हो कि विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा के बच्चों से ही पूछे कि वे क्या खेलना चाहते हैं? वह खेल कैसे खेला जाता है ? खेलों में विविधता बनी रहे यह भीसुनिश्चित किया जाए। यह कार्य सभी कक्षा के विद्यार्थी समूह के साथअलग–अलग दिवसों पर किया जाए।

प्रमाणित
हस्ताक्षर दिनांक सहित
शिक्षक–प्रशिक्षक

हस्ताक्षर
विद्यार्थी–शिक्षक

प्रपत्र–10 (96 दिवसीय)

कक्षा अवलोकन का प्रारूप (सहयोगी के रूप में)

विद्यार्थी–शिक्षक (अध्यापनकर्ता) का नाम :– .....

विद्यार्थी–शिक्षक (अवलोकनकर्त्ता) का नाम :– .....

विद्यालय का नाम .....

कक्षा.....विषय.....प्रकरण..... दिनांक.....

1. कक्षा का प्रारम्भ कैसे किया गया?
2. किन गतिविधियों/क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया?
3. सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी?
4. क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे?
5. सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी?
6. शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हुआ?
7. शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी व उसका उपयोग कैसे कियागया?
8. शिक्षण में और क्या किया जा सकता था? गतिविधियाँ उपयुक्त थीं या उनमें सुधार की आवश्यकता थी ?
9. क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था यदि नहीं तो उसमें क्या–क्या बदलाव किएगए?
10. कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं।

हस्ताक्षर

विद्यार्थी–शिक्षक

प्रपत्र–11 (96 दिवसीय)

संस्था–प्रधान / शिक्षक / शिक्षक–प्रशिक्षक के साथ 96 दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट

- विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :– ..... दिनांक :–.....
- विद्यालय का नाम :–..... कक्षा.....
- अध्यापन विषय :–.....

समीक्षा के बिन्दु	ग्रेड A+/A/B+/B
1. विद्यार्थी–शिक्षक की विद्यालय / कक्षा में समय पर एवं नियमित उपस्थिति	
2. शिक्षण योजना की पूर्व तैयारी तथा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन	
3. शिक्षण विधि तथा गतिविधियों का चयन एवं पूर्व दिवस के साथ तारतम्यता एवं क्रमबद्धता	
4. शिक्षण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन	
5. पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का उपयोग	
6. कक्षा प्रबंधन एवं कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की भागीदारी	
7. विद्यार्थी–शिक्षक का सामाजिक सरोकार हेतु प्रयास	
8. सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, भागीदारी एवं संचालन	
9. बच्चों के गृहकार्य एवं कक्षा–कार्य की नियमित जाँच	
10. विद्यार्थी–शिक्षकों का व्यवहार	

सामाजिक जागरूकता हेतु सुझावात्मक क्षेत्र :–

1. साक्षरता 2. जनसंख्या शिक्षा 3. नशा मुक्ति 4. पर्यावरण संरक्षण 5. महिला सशक्तिकरण 6. लिंग समानता 7. सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 8. अंध विश्वास से मुक्ति।

हस्ताक्षर

संस्था–प्रधान / शिक्षक

प्रपत्र संख्या–12 (96 दिवसीय विद्यालय अनुभव)

द्वितीय वर्ष

विद्यालय गतिविधियों में भागीदारी

(अ) **सूचनात्मक**

विद्यालय का नाम : .....

विद्यार्थी–शिक्षक का नाम :.....

दिनांक : .....

(ब) **विश्लेषणात्मक रिपोर्ट**

प्रार्थना सभा

I. प्रार्थना सभा की दैनिक गतिविधियों का विवरण :

.....

.....

.....

II. प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किये गये कार्य का विवरण।

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का नाम

नोट : प्रार्थना सभा में जेंडर संवेदनशीलता, सड़क सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय महत्त्व की योजनाएँ एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रार्थना सभा में विद्यार्थी स्तर के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना।

10. विद्यालय स्वच्छता हेतु दिये गये योगदान का विवरण

i. विद्यालय परिसर हेतु

ii. कक्षा–कक्ष हेतु

iii. मिड–डे–मील के आयोजन हेतु

iv. खेलकूद प्रांगण हेतु

v. विद्यार्थियों में स्वयं की साफ–सफाई एवं विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु किये गये कार्य का विवरण।

vi. उपरोक्त कार्यों में अध्यापकों के सहयोग पर टिप्पणी

3. विद्यलय में आयोजित होने वाले उत्सव/पर्व एवं जयंतियों में भागीदारी

i. उत्सव/पर्व/जयंतो का नाम एवं दिनांक

ii. विद्यालयों में आयोजित उत्सव/पर्व/जयंतो में विद्यालय द्वारा किये गये कार्य का क्रमवार विवरण।

iii. जनसहभागिता

iv. विद्यार्थियों की भागीदारी

v. विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा दिया गया योगदान

– पूर्व तैयारी में किये गये कार्य का विवरण

– कार्यक्रम के दौरान रही भूमिका का विवरण

vi. उपरोक्त कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव।

4. एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों का अवलोकन

i. बैठक की दिनांक :

ii. उपस्थित सदस्यों की संख्या :

iii. बैठक में लिये गये निर्णय :

iv. निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी

v. पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन पर चर्चा

vi. एसएमसी/एसडीएमसी बैठक को और प्रभावी बनाने हेतु सुझाव।

हस्ताक्षर
संस्थाप्रधान/शिक्षक–प्रशिक्षक

हस्ताक्षर
विद्यार्थी शिक्षक

प्रारूप–1

समग्र शिक्षण योजना

(कक्षावार एवं विषयवार)

विद्यार्थी–शिक्षक अपनी समग्र शिक्षण योजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को आधार बनायेंगे।

इकाई–

उद्देश्य –

विषयवस्तु विश्लेषण / संकल्पना मानचित्रण (Concept Mapping)-

इकाई के पाठ –

(संख्या एवं नाम)

निर्धारित अवधि –

गतिविधियाँ / कार्यनीतियाँ

सहायक सामग्री –

मूल्यांकन –

प्रारूप–2
दैनिक शिक्षण योजना

विषय :– **प्रकरण :–** **कक्षा :–**

उद्देश्य :–

अधिगम बिन्दु	गतिविधि / कार्यनीति	सहायक सामग्री	मूल्यांकन

गृहकार्य :–

नोट– गतिविधि बनाते समय बहुस्तरीय (Multi Level) शिक्षण का भी ध्यान रखा जाए।

पर्यवेक्षक की टिप्पणी :–

1. शिक्षण का प्रारम्भ
2. विद्यार्थियों से अन्तःक्रिया
3. शिक्षण विधा एवं सहायक सामग्री का उपयोग
4. मूल्यांकन
5. अन्य

हस्ताक्षर पर्यवेक्षक

विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन :–

1. मेरे शिक्षण के सकारात्मक पक्ष / बिन्दु
   1.
   2.
   3.
2. सुधार की आवश्यकता
   1.
   2.
   3.
3. क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियाँ करते समय सक्रिय थे ?
4. क्या बच्चों के सीखने की प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ? यदि नहीं तो क्यों ?
5. शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैं और क्या प्रयास कर सकता था।
6. मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा। (उत्तम / सन्तोषजनक / असन्तोषजनक)

हस्ताक्षर
विद्यार्थी–शिक्षक

प्रथम वर्ष

मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि(विद्यार्थी शिक्षक का नाम).....
पिता का नाम.....अध्ययनरत डाइट एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का नाम.....जिला.....
ने दिनांक.....से.....तक इस विद्यालय मे उपस्थित रह कर सफलतापूर्वक पूर्ण किया है जिनका अंक प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र. स.	कार्य का विवरण	पूर्णांक	प्राप्तांक
1.	कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं का नियमित अवलोकन (कक्षा 1 से 5 तक)	04	
2.	कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं का नियमित अवलोकन (कक्षा 6 से 8 तक)	04	
3.	1. विद्यार्थियों, विद्यालयों एवं समुदाय के साथ किये गये व्यवहार एवं किये गये कार्यों के आधार पर प्रपत्र–1,3,4,6,7 व 09 के आधार पर (प्रति प्रपत्र का 1 अंक) 2. विद्यालय अभिलेखों के मूल प्रारूप तैयार कर संकलन (प्रपत्र–8 के आधार पर जिसमें विद्यार्थी शिक्षक द्वारा समुचित टिप्पणी भी अंकित हों।	12 04	
4.	विद्यार्थी–शिक्षक की नियमितता, कार्यव्यवहार एवं विद्यालय में गतिविधियों में योगदान		
	1. नियमितता	02	
	2. गणवेश	02	
	3. बच्चों के साथ व्यवहार	02	
	4. शिक्षकों के साथ व्यवहार	02	
	5. प्रार्थनासभा में भागीदारी	02	
	6. **M.D.M.** में भागीदारी	02	
	7. जयन्ती / उत्सव आदि में सहभागिता के आधार पर।	01	
	8. **S.M.S.** बैठक में भागीदारी	01	
	9. नामांकन वृद्धि एवं विद्यार्थी की नियमितता हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास।	02	
	योग	**40**	

हस्ताक्षर

विद्यालय संस्थाप्रधान / शिक्षक

24 दिवसीय (चार सप्ताह) विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

शिक्षक–प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी शिक्षक का मूल्यांकन प्रपत्र
प्रथम वर्ष

क्र. स.	कार्य का विवरण	अधिकतम अंक	विद्यार्थी–शिक्षकों के नामांक				
			1	2	3	4	5
1.	कक्षा–कक्ष शिक्षण अवलोकन (कक्षा 1 से 5 तक) विद्यार्थी शिक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र–2 एवं विद्यार्थी शिक्षकों से चर्चा के आधार परहिंदी,अंग्रेजी,गणित, पर्यावरण (प्रत्येक विषय के लिए 04 अंक)	16					
2.	कक्षा–कक्ष शिक्षण अवलोकन (कक्षा 6 से 8 तक) प्रपत्र – 2 एवं विद्यार्थी शिक्षकों से चर्चा के आधार पर हिंदी,अंग्रेजी,गणित,सामाजिक,विज्ञान,संस्कृत (प्रत्येक विषय के लिए 03 अंक)	18					
3.	<u>प्रपत्र संधारण एवं चर्चा</u> 1. विद्यार्थी शिक्षक द्वारा तैयार किये गए प्रपत्रों, कक्षा व विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक का व्यवहार एवं भागीदारी तथा समुदाय के साथ जुड़ाव एवं विद्यालयी स्वच्छता, वृक्षारोपण, बेटी बचाओं अभियान आदि पर विद्यार्थी शिक्षकों के साथ चर्चा के आधार पर। (प्रपत्र सं. 1,3,4,5,6,7 व 9) प्रत्येक प्रपत्र के लिए अधिकतम 01	7 4					

	अंक 2. विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा कार्यालय अभिलेखों के मूल प्रारूप तैयार कर उनका संकलन करना एवं विस्तृत टिप्पणी करना। (प्रपत्र 8 में दिए गये कार्यालय अभिलेखों पर)						
4.	1. मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण, सर्वे / प्रोजेक्ट (प्रत्येक के 03 अंक)। 2. मौखिक (प्रत्येक के 02 अंक)	09 06					
	योग	**60**					

हस्ताक्षर

प्राचार्य / पर्यवेक्षक

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

द्वितीय वर्ष

मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र(प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि(विद्यार्थी शिक्षक का नाम).....

पिता का नाम.....अध्ययनरत डाइट एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का नाम.....जिला.....

ने दिनांक.....से.....तक इस विद्यालय मे उपस्थित रह कर सफलतापूर्वक पूर्ण किया है जिनका अंक प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

क्र. स.	मूल्यांकन के बिन्दु	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	कक्षा–कक्ष शिक्षण, कक्षागत व्यवहार व दैनिक पाठ योजना (प्रतिदिन के कार्यानुसार) अंक)	46 अंक	
2.	विद्यालय गतिविधियों में योगदान, अनुशासन एवं नियमितता	20 अंक	
3.	अपने सहयोगी विद्यार्थी–शिक्षक का कक्षा अवलोकन एवं मूल्यांकन	14 अंक	
4.	विद्यार्थियों के गृहकार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जाँच	10 अंक	
5.	कक्षा शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (ICT) का उपयोग	10 अंक	
	योग	**100 अंक**	

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान

मूल्यांकन प्रत्रक –(अ)

शिक्षक–प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी–शिक्षक का समग्र मूल्यांकन

द्वितीय वर्ष

कक्षा 1 से 5 तक के लिए

क्र.स.	मूल्यांकन के बिन्दु	अधिकतम अंक	विद्यार्थी–शिक्षकों के नामांक							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा तैयार समग्र शिक्षण योजना (5 विषय 5 अंक)	25 अंक								
2.	समग्र शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण कार्य तथा उसमें आवश्यकतानुसार परितर्वन (5 विषय 7 अंक)	35 अंक								
3.	रिकार्ड आधारित मूल्यांकन–दैनिक शिक्षण योजना डायरी, एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल संधारण (प्रति रिकार्ड 7 अंक, (4 अंक लिखित एवं 3 अंक मौखिक प्रस्तुतिकरण)	35 अंक								
4.	समालोचना पाठ–(5 विष्य)–45 अंक (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रति विषय 12 अंक एव कला–शिक्षा हेतु 7 अंक)	55 अंक								
	योग	**150**								

हस्ताक्षर

शिक्षक–प्रशिक्षक / पर्यवेक्षक

मूल्यांकन प्रत्रक– (ब)

शिक्षक–प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी–शिक्षक का समग्र मूल्यांकन

द्वितीय वर्ष

कक्षा 6 से 8 तक के लिए

क्र. स.	मूल्यांकन के बिन्दु	द्वितीय वर्ष	विद्यार्थी–शिक्षकों के नामांक							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा तैयार समग्र शिक्षण योजना (6 विषय 4 अंक)	24 अंक								
2.	समग्र शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण कार्य तथा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन (6 विषय 6 अंक)	36 अंक								
3.	रिकार्ड आधारित मूल्यांकन–दैनिक शिक्षण योजना डायरी, कक्षा 6 से 8 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान (प्रति रिकार्ड 7 अंक, 4 अंक रिकार्ड एवं 3 अंक मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर)	35 अंक								
4.	समालोचना पाठ–6 पाठ (हिन्दी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान/विज्ञान, प्रति विषय 10 अंक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 5 अंक)	55 अंक								
	योग	**150**								

- क्रम संख्या 2 में प्रति विषय 6 अंक निर्धारित हैं इन 6 अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा।
  1. शिक्षण का प्रारंभ
  2. विद्यार्थियों से अन्तःक्रिया
  3. शिक्षण विधा एवं सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग
  4. मूल्यांकन

हस्ताक्षर

शिक्षक–प्रशिक्षक / पर्यवेक्षक

प्रथम वर्ष (समय सारणी)

24 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 में 08 विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा चार समूह में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 06 से 08 में 06 विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा तीन समूहों में अवलोकन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए समय–सारणी का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि विद्यार्थी शिक्षकों को एक कक्षा में एक विषय के लगातार 06 कालांश अवलोकन का अवसर मिले इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये, कि सभी कक्षाओं के साथ–साथ सभी विषयों के शिक्षण कालांश का अवलोकन कर सकें। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ उदाहरण स्वरूप समय सारणी दी जा रही है इस सारणी में A,B,C,D, चार समूह है तथा प्रत्येक समूह में दो विद्यार्थी–शिक्षक जैसे । Aसमूह में A_1-A_2,B समूह में B_1-B_2 है।

प्रथम वर्ष (समय सारणी)
(प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 में)

दिन/कालांश	I और II	III औरIV	Vऔर VI	VII औरVIII
पहले दिन से 06 वे दिन तक	A_1-A_2– कक्षा 1 या 2 B_1-B_2– कक्षा 3 C_1-C_2– कक्षा 4 D_1-D_2– कक्षा 5	A_1-A_2– कक्षा 3 B_1-B_2– कक्षा 4 C_1-C_2– कक्षा 5 D_1-D_2– कक्षा 1 या 2	**विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय की कालांश योजना के अनुसार अवलोकन करेंगे एवं शेष चार कालांशों में विद्यालय अवलोकन के अन्य कार्य करेंगे।**	
07 वें दिन से 12 वें तक	A_1-A_2– कक्षा 4 B_1-B_2– कक्षा 5 C_1-C_2– कक्षा 1 या 2 D_1-D_2– कक्षा 3	A_1-A_2– कक्षा 5 B_1-B_2– कक्षा 1 या 2 C_1-C_2– कक्षा 3 D_1-D_2– कक्षा 4		

नोट : प्राथमिक कक्षाओं के लिए दो कालांशों को मिलाकर 01 कालांश मानते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है।

प्रथम वर्ष (समय सारणी)

(उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 06 से 08 में)

दिन / कालांश	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
13 वें दिन से 18 वें दिन	A_1-A_2– कक्षा 6 B_1-B_2– कक्षा 7 C_1-C_2– कक्षा 8	A_1-A_2– कक्षा 7 B_1-B_2– कक्षा 8 C_1-C_2– कक्षा 6	A_1-A_2– कक्षा 7 B_1-B_2– कक्षा 8 C_1-C_2– कक्षा 6		विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय की कालांश योजना के अनुसार अवलोकन करेंगे एवं शेष कालांशों में विद्यालय अवलोकन के अन्य कार्य करेंगे।			
19 वें दिन से 24 वे दिन तक	A_1-A_2– कक्षा 8 B_1-B_2– कक्षा 6 C_1-C_2– कक्षा 7	A_1-A_2– कक्षा 7 B_1-B_2– कक्षा 6 C_1-C_2– कक्षा 8	A_1-A_2– कक्षा 7 B_1-B_2– कक्षा 6 C_1-C_2– कक्षा 8					

द्वितीय वर्ष (समय सारणी)

96 दिवसीय विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम

(प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 में)

दिन / कालांश	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
पहले दिन से 10वें दिन तक	A- हिंदी शिक्षण (कक्षा 1 व 2) (10 दिन, 10 कालांश)		B–अंग्रेजी शिक्षण (कक्षा 1 व2) (10 दिन 10 कालांश)		नोट – इन कालांशों में अगले दिवस की शिक्षण योजना की तैयारी एवं किये गये शिक्षण कार्य की स्वामूल्यांकन रिपोर्ट एवं सहयोगी के रूप में किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना।			
11 वें दिन से 20 वें दिन तक	A– गणित शिक्षण (कक्षा 3) (10 दिन, 10 कालांश)		B- पर्यावरण शिक्षण (कक्षा 3) (10 दिन, 10 कालांश)					
21 वें दिन से 30 वें दिन तक	A– अंग्रेजी शिक्षण (कक्षा 4) (10 दिन, 10 कालांश)		B– हिंदी शिक्षण (कक्षा 4) (10 दिन, 10 कालांश		नोट – इन कालांशों में अगले दिवस की शिक्षण योजना की तैयारी एवं किये गये शिक्षण कार्य की स्वामूल्यांकन रिपोर्ट एवं सहयोगी के रूप में किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना।			
31 वें दिन से 40 वें दिन तक	A– पर्यावरण शिक्षण (कक्षा 5) (10 दिन, 10 कालांश)		B–गणित शिक्षण (कक्षा 5) (10 दिन, 10 कालांश)					
41 वें दिन से 46 वें दिन तक	A– कला शिक्षण (कक्षा 1 व2) (6 दिन, 6 कालांश)		B– कला शिक्षण (कक्षा 4 व 5) (6 दिन, 6 कालांश)					

द्वितीय वर्ष (समय सारणी)
उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6,7 व 8 में

दिन / कालांश	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
47 वे दिन से 56 वे दिन तक	A– हिंदी शिक्षण (कक्षा 6) (10 दिन, 10 कालांश)		B– अंग्रेजी शिक्षण (कक्षा 6) (10 दिन, 10 कालांश)		नोट – इन कालांशों में अगले दिवस की शिक्षण योजना की तैयारी एवं किये गये शिक्षण कार्य का स्वामूल्यांकन रिपोर्ट एवं सहयोगी के रूप में किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना।			
57 वे दिन से 66 वे दिन तक	A– गणित शिक्षण (कक्षा 7) (10 दिन, 10 कालांश)		B–सामाजिक / विज्ञान शिक्षण (कक्षा 7) (10 दिन, 10 कालांश)					
67 वे दिन से 76 वे दिन तक	A–सामाजिक / विज्ञान शिक्षण (कक्षा 8) (10 दिन, 10 कालांश)		B– गणित शिक्षण (कक्षा 8) (10 दिन, 10 कालांश)		A–तृतीय भाषा शिक्षण (कक्षा 6) (04 दिन, 04 कालांश)		B–तृतीय भाषा शिक्षण (कक्षा 7) (04 दिन, 04 कालांश)	
77 वे दिन से 86 वे दिन तक	A– अंग्रेजी शिक्षण (कक्षा 6) (10 दिन, 10 कालांश)		B– हिंदी शिक्षण (कक्षा 6) (10 दिन, 10 कालांश)					
87 वे दिन से 92 वे दिन तक	A–तृतीय भाषा शिक्षण (कक्षा 6) (06 दिन, 06 कालांश)		B.तृतीय भाषा शिक्षण (कक्षा 7) (06 दिन, 06 कालांश)		A–स्वा. एवं शारीरिक शिक्षा(कक्षा 6) (06 दिन, 06 कालांश)		B–स्वा. एवं शारीरिक शिक्षा(कक्षा 7) (06 दिन, 06 कालांश)	

92 वे दिन के बाद डाइट / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में 04 दिवसीय बैठक :–

प्रथम दिवस –हिन्दी, अंग्रेजी, गणित विषय मे किये गये शिक्षण कार्य की समग्र समीक्षा

द्वितीय दिवस– विज्ञान / सामाजिक विज्ञान, स्वा0एवं शा0शि0 विषय मे किये गये शिक्षण कार्य की समग्र समीक्षा एवं विद्यार्थी शिक्षकों एवं डाइट / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संकाय के बीच सामूहिक चर्चा करना।

तृतीय दिवस – आगामी समालोचना शिक्षण योजना हेतु विषय / प्रकरण आवंटन एवं डाइट / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय द्वारा समालोचना शिक्षण योजना में आवश्यक संशोधन कर संबंधित विषयों को अनुमोदन करना।

चतुर्थ दिवस – संकलित शिक्षण अभिलेखों का मूल्यांकन करना। (शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा)

कार्यकारी दल

श्री नारायण लाल प्रजापत
विभागाध्यक्ष, शिक्षक–शिक्षा विभाग, एस.आई.आर.टी., उदयपुर

श्री अरविन्द शर्मा
प्रायोजना अधिकारी, आई.एफ.आई.जी., उदयपुर

श्री रामकुमार आचार्य
स. नि., निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा,बीकानेर

श्रीमती हेमलता मेनारिया
वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती दीपिका पण्ड्या
व्याख्याता, एस.आई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती अंजली कोठारी
व्याख्याता, डाइट, उदयपुर

श्री रिपुसुदन सिंह
उप प्रधानाचार्य, डाइट, भरतपुर

श्री हेमन्त कुमार महता
वरि. व्याख्याता, डाइट, उदयपुर

श्री प्रेमशंकर पालीवाल
वरि. व्या., डाइट, नाथद्वारा

श्री सुरेन्द्र उकावत
व्याख्याता, डाइट, डूंगरपुर